दलित आदिवासी बजट विश्लेषण वित्त वर्ष 2024-25

दलित मानवाधिकार पर राष्ट्रीय अभियान - दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन

1. भूमिका

यह साल देश के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह एक चुनावी वर्ष है और इस साल पेश किया जाने वाला बजट अगली सरकार के आने तक के खर्च का लेखा-जोखा मात्र होगा। आने वाले चुनावों के संदर्भ में, यह बजट मौजूदा सरकार की प्राथमिकताओं को आंकने के नज़रिए से भी महत्व रखता है। इस बजट में यह भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं को सिर्फ चुनाव के नज़रिए से जनता को खुश करने के लिए शामिल किया गया हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे तेज़ी से फैलता हुआ बाज़ार भी है। जब दुनिया कई प्रकार के संकटों और उथलपुथल का सामना कर रही है, तब भारत ने 6.7% विकास दर के साथ चीन को पीछे छोड़ दिया है और भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति अन्य कई देशों के मुकाबले कहीं बेहतर है। लेकिन बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ गैर-बराबरी भी बढ़ती जा रही है, और यह बजट सरकार के लिए यह सुनिश्चित करने का एक अच्छा अवसर था कि दलितों और आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं और लाभों को बजट में उचित प्राथमिकता दी जाए, लेकिन सरकार ने यह अवसर गंवा दिया।

इस वर्ष का कुल बजट अनुमान 51,08,780 करोड़ रुपये है, जिसमें से अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 1,65,598 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 1,21,023 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यहां यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि दिशनिर्देशों के अनुसार, दलितों के लिए 16.8% और आदिवासियों के लिए 8.6% आवंटन ज़रूरी है, लेकिन इस बजट में एससी के लिए सिर्फ 11.5% और एसटी के लिए सिर्फ 8.4% राशि ही आवंटित की गई है। और भी निराशा की बात है कि इस आवंटन में से, एससी के लिए सिर्फ 3.1% और एसटी के लिए सिर्फ 2.5% आवंटन ही समुदायों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाएंगे; बाकी के आवंटन को या तो अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या उसका कोई उपयोग नहीं किया गया है।

भारत में करों के दो मुख्य स्रोत हैं - प्रत्यक्ष (सीधे तौर पर लगाए गए) कर और अप्रत्यक्ष (गैर-सीधे तौर पर लगाए गए) कर। वर्ष 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत की गई जिसकी वजह से कर व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए और एक एकीकृत कर प्रणाली विकसित की गई जिसकी वजह से करों की चोरी में गिरावट देखी गई और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप दिया गया। लेकिन प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में एक बड़ी खामी की वजह से कॉर्पोरेट कंपनियां लगाए गए कर के पूरे भुगतान से बचने में सफल रही हैं।

तालिका 1: अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आवंटित बजट - वित्त वर्ष 2024-25 (करोड़ रुपये में)

		SC	ST
(a)	Total Expenditure Budget Estimate 2024-25 (Note 1)	51,08,780	51,08,780
(b)	Total Eligible Central Sector Schemes and Centrally Sponsored Schemes (Note 2)	14,41,237	14,39,780
(c)	Due Allocation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Schemes as per the New Guidelines of NITI Aayog (Note 1)	2,10,315	1,20,451
(d)	Allocation for SC Schemes (as per Statement 10A) and ST Schemes (as per Statement 10B)	1,65,598	1,21,023
(e)	% of Allocation (e) = (d)% of (b)	11.5%	8.4%
(f)	Targeted Schemes	44,282	36,212
(g)	% of Targeted Allocation (g)=(f)% of (b)	3.1%	2.5%
(i)	**Total Gap in allocation (Due Allocation-Targeted Schemes) (i) =(c) -(f)**	**1,66,033**	**84,238**

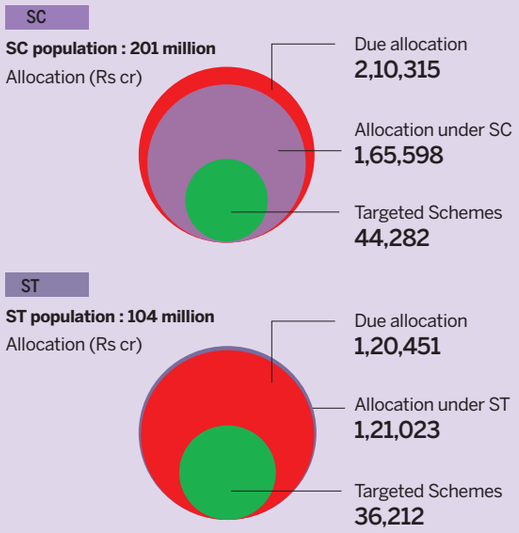

Source: Gov of India -Budget Expenditure Profile 2024-25 Ministry of Finance.

*Note-1: Total Expenditure through budget and resources of public enterpreses, as per statement-1,Expenditure Profile, FY 2024-25

* Note-2: The Total eligible schemes have been designated by the NITI Ayog as per the new guidelines issued by NITI Aayog Dated 1 April 2018, eUthan Portal, MSJE, GoI.

Note 3: The aue allocation under obligatory ministries/departments is calculated as per the new guidelines issued by NITI Aayog Dated 1 April 2018 available in eUthan Portal,MSJE, GoI. As per the Guidelines each obligatory Ministry/Department is given a set proportion of the CS+CSS to be earmarked as the Budget for SC and ST schemes.

2. बजट विश्लेषण 2024-25 की कुछ प्रमुख झलकियां

1. इस साल अनुसूचित जाति के लिए कुल आवंटन 159,126 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,65,598 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल आवंटन 119,510 करोड़ रुपये से बहदकर 1,21,023 करोड़ रुपये हुआ है।
2. एससी के लिए आवंटित किए गए 1,65,598 करोड़ रुपये में से करीब 44,282 करोड़ रुपये ही सीधे तौर पर एससी समुदायों को लाभ पहुंचाएंगे और एसटी के लिए आवंटित किए गए 1,21,023 करोड़ रुपये में से करीब 36,212 करोड़ रुपये ही सीधे तौर पर एसटी समुदायों को लाभ पहुंचाएंगे।
3. एससी और एसटी महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बावजूद, न्याय हासिल करने में उन्हें समर्थन देने वाली योजना के आवंटन में 168 करोड़ की छोटी सी ही बढ़ोत्तरी की गई है। इसके लिए सिर्फ एक योजना है, 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन तंत्र का सशक्तिकरण' जो जेंडर बजट के तहत ज़यादातर संवेदीकरण पर ज़ोर देती है।
4. राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना में 50 करोड़ से 95 करोड़ की की गई बढ़ोत्तरी सराहनीय कदम है।
5. मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति योजना में वृद्धि की मांग के बावजूद, इस वर्ष का आवंटन अनुसूचित जाति के लिए 6349 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 2374 करोड़ रुपये, जो पिछले वर्ष के मुकाबले कुछ बढ़ोत्तरी दिखता है।
6. एसटी बजट के तहत, एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 6399 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण राशि का आवंटन किया गया है।
7. यह बहुत निराशाजनक है कि विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूहों के लिए आवंटन में भारी गिरावट आई है: पिछले वर्ष के 256 करोड़ रुपये के मुकाबले 20 करोड़ रुपये।

तालिका-2 (लगाया गया लेकिन वसूल नहीं किया गया प्रत्यक्ष कर) पिछले 10 वित्त वर्षों में (वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2022-23) वसूल किए गए प्रत्यक्ष कर के आंकड़े दर्शाती है। कॉर्पोरेट कर, आयकर, केंद्रीय प्राथमिक उत्पाद कर के रूप में लगाए गए कर में से कुल 1,15,68,979 करोड़ रुपये वसूल नहीं किए जा सके, जिसमें विवादित और गैर-विवादित, दोनों श्रेणियां शामिल हैं।

वसूल नहीं किए गए 1,15,68,979 करोड़ रुपये के इस कर का इस्तेमाल एससी, एसटी और अन्य समुदायों के करीब 10 करोड़ गरीब लोगों के लिए आवास, उद्यमशीलता, अच्छी शिक्षा और जल और स्वछता सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता था। लेकिन इसके बजाय, कॉर्पोरेट घरानों और कंपनियों को करों में मिलने वाली तमाम छूट के अलावा, लगाए जाने वाले कर के पूर्ण भुगतान से बचने दिया गया।

तालिका-2: वर्ष 2013-22 की अवधी के दौरान वसूल नहीं किया गया प्रत्यक्ष कर (करोड़ रुपये में) वसूल नहीं किया गया कॉर्पोरेट कर, आयकर, उत्पाद और सेवा कर

Total tax not realised excluding CGST & IGST (in Rs. Cr.)

	Corporation Tax	Taxes on Income	Customs	Union Excise	Service Tax	Total
2013-14	1,92,013	2,83,706	14,444	49,796	43,388	**5,83,347**
2014-15	2,63,674	3,00,729	15,546	51,505	69,307	**7,00,761**
2015-16	3,43,915	3,15,216	15,950	47,549	54,286	**7,76,916**
2016-17	3,83,091	3,47,955	17,216	58,701	65,731	**8,72,693**
2017-18	4,68,668	2,63,622	13,521	63,014	90,832	**8,99,657**
2018-19	4,88,264	4,52,828	14,783	61,365	91,958	**11,09,198**
2019-20	5,96,649	5,27,032	23,321	58,298	92,433	**12,97,733**
2020-21	7,65,375	6,75,880	22,408	56,542	99,093	**16,19,298**
2021-22	6,88,828	7,01,823	26,233	59,062	1,05,770	**15,81,716**
2022-23	9,95,446	9,31,901	31,766	58,552	1,09,994	**21,27,659**
Total	**39,98,464**	**35,85,085**	**1,48,977**	**4,56,036**	**6,69,411**	**1,15,68,979**

Source: https://www.indiabudget.gov.in

तालिका-3: वित्त वर्ष 2023-24 (बजटीय अनुमान) में एससी बजट की कुछ चुनिंदा लक्षित योजनाएं बनाम नाममात्र योजनाएं

Break-up of Targeted vs Non-Targeted Schemes

	Amount (Rs.Cr.)	Select Targeted Schemes Beneficial to SCs	Notional Schemes that have no relevance for SC Welfare or Development
Agriculture	20087	0.9	99.1
Health & Family Welfare	2775	0.0	100.0
MSME	2480	0.0	100.0
Higher Education	2264	3.2	96.8
Power	2042	0.0	100.0
MSJE	497	100.0	0.0

Select Targeted Schemes Beneficial to SCs

Scheme	Amount (Rs.Cr.)
Agriculture	
Formation and Promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations (FPOs)	174
Total	**174**
MSJE	
National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation	10
National Scheduled Castes Finance and Development Corporation	15
Coaching and Guidance for SC,ST and Other Backward Classes	15.25
National Overseas Scholarship for SCs	50
National Means cum Merit Scholarship Scheme	61
National Schedule Caste/Schedule Tribe Hub Centre	60
Venture Capital Fund for Scheduled Castes and Backward Classes	70
Top Class Education for SCs	111
Scheme of Residential Education for Students in High School in Targeted Area (SRESHTA) for SCs	104.65
Total	**496.9**
Higher Education	
PM Research Fellowship	72
Prime Minister's Girls' Hostel	1.5
Total	**73.5**
Grand total	**744.4**

Notional Schemes that have no relevance for SC Welfare or Development

Agriculture	
Urea Subsidy Payment for Indigenous Urea & Import of Urea	11,210.24
Nutrient Based Subsidy Payment for Indigenous P and K Fertilizers	3,652
Crop Insurance Scheme: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana	2,666.94
Krishionnati YojanaDigital Agriculture	1,075.96
Rashtriya Krishi Vikas Yojna	1,307.79
Total	**19,912.93**
MSME	
Guarantee Emergency Credit Line (GECL) facility to eligible MSME borrowers	2,480.00
Total	**2,480.00**
Power	
Reform Linked Distribution Scheme	2,042.41
Total	**2,042.41**
Health & Family Welfare	
Infrastructure Maintenance Gross Budgetary Support (GBS)	1,696.08
Human Resources for Health and Medical Education Establishment of New Medical Colleges and Increase of Seats in existing Government Medical Colleges (PMSSN)	1,079
Total	**2,775.08**
Higher Education	
Grants to Central Universities (CUs)	722
Support to IISc and IISER	147
Support to Indian Institutes of Technology	565
Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIEST*	330
World Class Institutions*	295
All India Council for Technical Education(AICTE)*	63
Assistance to Other Institutions*	36
Deemed Universities promoted by Central Government	32
Total	**2,190**
Grand Total	**26,920.42**

Grants to Central Universities (CUs)

ऊपर दी गई तालिका यह उजागर करती है हालांकि संख्या के मामले में कई योजनाएं शामिल की गई हैं लेकिन उनके लिए किया गया आवंटन बहुत कम है। यही नहीं ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका एससी/एसटीसमुदायों से कोई लेना देना नहीं है लेकिन जिनके लिए बड़े पैमाने पर बजटीय आवंटन किया गया है। जैसे, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली '10,000 किसान उत्पादक संस्थाओं की स्थापना और प्रोत्साहन' योजना जो एससी/एसटी समुदायों को लाभ पहुंचाती है उसके लिए सिर्फ 174 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं। वहीं, इसी मंत्रालय के तहत आने वाली एससी/एसटी समुदायों से असंबंधित योजनाओं के लिए 19,913 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो एक बड़ी राशि है और जिसका एससी/एसटी समुदायों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भी कई अच्छी और प्रभावी योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ एससी/एसटी समुदायों को होगा लेकिन इनके लिए आवंटन बहुत कम है।

3. बजटीय राशि के उपयोग का विश्लेषण - बजट की विश्वसनीयता

बजट की विश्वसनीयता का अर्थ है कि सरकार के बजट को किस हद तक लागू किया जाता है। इसे जानने के लिए मंजूर किए गए बजटीय अनुमानों की वास्तविक सरकारी राजस्व और खर्च से तुलना की जाती है। भारत जैसे विकासशील देशों में, अनुसूचित जाति के लिए आवंटित किए गए बजट को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिसे देशभर में देखा जा सकता है। जैसे, वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले स्टेटमेंट 10ए और 10बी के अनुसार, एससी बजट के तहत वित्त वर्ष 2019-20 में 20% और वित्त वर्ष 2020-21 में 14% आवंटित राशि का उपयोग नहीं किया गया था। इस तरह से पूरी आवंटित राशि का इस्तेमाल नहीं किया। बजटीय विश्वसनीयता की इस परिभाषा के तहत, अगर मंजूर किए गए बजट और इस्तेमाल किए गए बजट के बीच का फर्क 10% से ज़्यादा हो तो इसे बजटीय अविश्वसनीयता कहा जाएगा। इसी तरह, वित्त वर्ष 2019-20 में एसटी बजट के तहत, 11% आवंटित राशि खर्च नहीं की गई। यह आंकड़े नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं जो भारत की सर्वोच्च ऑडिट संस्था है।

अगर बजट विश्वसनीयता का और गहराई से विश्लेषण किया जाए तो देखा जा सकता है कि कई योजनाओं को क्रियान्वयन के स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले पांच सालों में, यानी वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच में, "आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" जैसी महत्वपूर्ण योजना के लिए आवंटित की गई 3,322.51 करोड़ रुपये की कुल राशि में से सिर्फ 2,086.61 रुपये ही इस्तेमाल किए गए, और 1235.9 करोड़ रुपये, यानी कुल आवंटन का 37.2% हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया गया। एक और अच्छी योजना है "राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम" को दिया जाने वाला समर्थन, जिसके लिए कुल आवंटन 205 करोड़ रुपये था लेकिन इस्तेमाल सिर्फ 135.9 करोड़ रुपये का किया गया, यानी 33.7% आवंटित राशि इस्तेमाल ही नहीं की गई। एक और अच्छी योजना है, "लक्षित क्षेत्र में हाई स्कूल के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना" जिसके लिए कुल आवंटन 200 करोड़ रुपये था लेकिन इस्तेमाल सिर्फ 38 करोड़ रुपये का किया गया, यानी 80.99% आवंटित राशि का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां यह रेखांकित करना भी ज़रूरी है कि सबसे बेहतरीन योजनाओं में से एक, "राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त एवं विकास निगम" योजना के तहत कुल आवंटन 725.6 करोड़ रुपये था लेकिन इस्तेमाल सिर्फ 518.2 करोड़ रुपये का किया गया, और 207.4 करोड़ रुपये की राशि का, यानी कुल आवंटन के 28.6% हिस्से का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। कुछ सामान्य योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन का इस्तेमाल लक्षित योजनाओं के मुकाबले कहीं बेहतर रहा है। जैसे, "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि" योजना के लिए इस पांच साल की अवधी के दौरान कुल आवंटन 35,837.48 करोड़ रुपये था, जिसमें से 22,315.20 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया, यानी सिर्फ 37.7% आवंटित राशि का ही इस्तेमाल नहीं किया गया। एक और सामान्य योजना, "जल जीवन मिशन/ राष्ट्रीय पेयजल मिशन - सामान्य कार्यक्रम" के लिए कुल आवंटन 22,698.6 करोड़ रुपये था, जिसमें से 19,167 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया, यानी सिर्फ 15.6% आवंटित राशि का ही इस्तेमाल नहीं किया गया। कुछ ऐसी गैर-लक्षित योजनाएं भी हैं जिनके लिए बजटीय राशि का इस्तेमाल 100% से भी ज़्यादा है, जैसे "देसी यूरीया के लिए सब्सिडी भुगतान" योजना के लिए कुल आवंटन 5,211.3 करोड़ रुपये था, जबकि 8712.5 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया, यानी 3501.3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल जो कुल आवंटित राशि का 167% था। इसी तरह, एक और गैर-लक्षित योजना, "मनरेगा - कार्यक्रम घटक" के लिए कुल आवंटन 16,650.1 करोड़ रुपये था, जिसमें से 13,772.11 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया, यानी आवंटित राशि के 82.7% हिस्से का इस्तेमाल किया गया। नीति के तहत यह साफतौर पर कहा गया है कि इस योजना के वेतन वाले भाग को एससी और एसटी बजट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक गैर-लक्षित योजना है।

यही हाल आदिवासी बजट की योजनाओं का भी है। जैसे, गैर-लक्षित योजना "मनरेगा" के तहत इन पांच वर्षों के लिए कुल आवंटन 8,330 करोड़ रुपये था, जबकि 12,601.7 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया, यानी आवंटित बजट के मुकाबले 151.3% राशि का इस्तेमाल किया गया। एक और गैर-लक्षित योजना "देसी यूरिया और यूरिया आयात के लिए सब्सिडी" योजना के लिए कुल आवंटन 2,699.8 करोड़ रुपये था, जबकि 4,513.7 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया, यानी कुल आवंटन की 167% राशि का इस्तेमाल किया गया। आयुष्मान भारत जैसी लक्षित और प्रभावी योजनाओं के लिए पिछले पांच सालों के दौरान 1,553 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया जबकि इस्तेमाल 1,308 करोड़ रुपये यानी 85.3% राशि का ही किया गया। सामान्य योजनाओं में से एक अच्छी योजना, "कर्मचारी पेंशन योजना, 1995" के तहत कुल आवंटन 2,448.9 करोड़ रुपये था और इस्तेमाल 3471.8 करोड़ रुपये, यानि 141.8% राशि का किया गया। वित्त वर्ष 2022-23 में, एससी बजट के तहत कुल आवंटन 1,42,342 करोड़ रुपये है और इस्तेमाल 1,33,008 करोड़ रुपये रहा, यानी 93% आवंटित राशि का इस्तेमाल किया गया। एसटी बजट के तहत आवंटन 89,265 करोड़ रुपये और इस्तेमाल 92,176 करोड़ रुपये रहा, यानी आवंटित बजट की 103% राशि का इस्तेमाल किया गया।

तालिका 3a: अनुसूचित जाति बजट: वित्त वर्ष 2024-25 में देय, आवंटित और लक्षित राशि

	2024-25 (BE)
Total CS+CSS (Rs. Cr.)	14,41,237
Due Allocations (Rs. Cr.) (*)	2,10,315
% Due Share (1.) As per NITI Aayog guideline	**14.4%**
Allocation earmaked for SCs (Rs.Cr.)	1,65,598
% Allocation to SCs to Total CS+CSS	**11.5%**
Total Targeted Schemes - SCs (Rs.Cr.)	44,282
% Targeted Scheme to SCs to Total CS+CSS	**3.1%**

*2024-25: The Due amount has been calculated by the new guidelines issued by NITI Aayog on Dated 1 April 2018 available in eUthan Portal,MSJE, GoI. This Guideline gives Ministry wise allocation for SCs and has named it as DAPSC(Development Action Plan For Schedule Caste) vide. As per the Guidelines each obligatory Ministry/Department is given a set proportion of the CS+CSS to be earmarked as the Budget for SC and ST schemes.
1. As per the NITI Aayog guideline on DAPSC & DAPST the total Due allocation comes 14.37% in stead of 16.6% which is prescribed by earstwhile Narendra Jadav Committee

Source: Union Budget Expenditure Profile FY2024-25

तालिका 3b: अनुसूचित जनजाति बजट: वित्त वर्ष 2024-25 में देय, आवंटित और लक्षित राशि

	2024-25 (BE)
Total CS+CSS (Rs. Cr.)	14,39,780
Due Allocations (Rs. Cr.) (*)	1,20,451
% Due Share (1.) As per NITI Aayog guideline	**8.2%**
Allocation earmaked for STs (Rs.Cr.)	1,21,023
% Allocation to STs to Total CS+CSS	**8.4%**
Total Targeted Schemes - STs (Rs.Cr.)	36,212
% Targeted Scheme to STs to Total CS+CSS	**2.5%**

*2024-25: The Due amount has been calculated by the new guidelines issued by NITI Aayog on Dated 1 April 2018 available in eUthan Portal,MSJE, GoI. This Guideline gives Ministry wise allocation for STs and has named it as DAPST(Development Action Plan For Schedule Tribes) vide. As per the Guidelines each obligatory Ministry/Department is given a set proportion of the CS+CSS to be earmarked as the Budget for SC and ST schemes.
1. As per the NITI Aayog guideline on DAPSC & DAPST the total Due allocation comes 8.16% in stead of 8.6% which is prescribed by earstwhile SCP & TSP Policy

Source: Union Budget Expenditure Profile FY2024-25

तालिका 3c: अनुसूचित जाति बजट: देय, आवंटित और लक्षित राशि के पिछले 5-वर्षों के रुझान

Financial Year	Total CS+CSS (Rs.Cr.)	Due Allocations (Rs.Cr.) (*)	% Due Share (1.) As per NITI Aayog guideline	Allocation earmarked for SCs (Rs.Cr.)	% Allocation to SCs to Total CS+CSS	Total Targeted Schemes - SCs (Rs.Cr.)	% Targeted Scheme to SCs to Total CS+CSS
2020-21 (BE)	8,98,430	1,39,172	15.5%	83,257	9.3%	16,174	1.8%
2021-22 (BE)	10,81,427	1,61,260	14.9%	1,26,259	11.7%	48,397	4.5%
2022-23 (BE)	12,30,836	1,82,976	14.9%	1,42,342	11.6%	53,795	4.4%
2023-24 (BE)	14,19,910	2,03,991	14.4%	1,59,126	11.2%	30,475	2.1%
2024-25 (BE)	14,41,237	2,10,315	14.4%	1,65,598	11.5%	44,282	3.1%
Total	**60,71,840**	**8,97,714**	**14.8%**	**6,76,582**	**11.1%**	**1,93,123**	**3.2%**

*FY 2024-25: The Due amount has been calculated by the new guidelines issued by NITI Aayog on Dated 1 April 2018 available in eUthan Portal,MSJE, GoI. This Guideline gives Ministry wise allocation for SCs and has named it as DAPSC(Development Action Plan For Schedule Caste) vide. As per the Guidelines each obligatory Ministry/Department is given a set proportion of the CS+CSS to be earmarked as the Budget for SC and ST schemes.
1. As per the NITI Aayog guideline on DAPSC & DAPST the total Due allocation comes 14.37% in stead of 16.6% which is prescribed by earstwhile SCP & TSP Policy

Source: Union Budget Expenditure Profile FY2020-21 to FY2024-25

तालिका 3d: अनुसूचित जनजाति बजट: देय, आवंटित और लक्षित राशि के पिछले 5-वर्षों के रुझान

Financial Year	Total CS+CSS (Rs.Cr.)	Due Allocations (Rs.Cr.) (*)	% Due Share as per NITI Ayog guideline (1)	Allocation earmarked for SCs (Rs.Cr.)	% Allocation to STs to Total CS+CSS	Total Targeted Schemes - STs (Rs.Cr.)	% Targeted Scheme to SCs to Total CS+CSS
2020-21 (BE)	8,95,043	77,034	8.1%	53,653	5.9%	19,428	2.2%
2021-22 (BE)	10,77,460	88,077	8.2%	79,942	7.4%	27,830	2.6%
2022-23 (BE)	12,26,282	98,664	8.2%	89,265	7.3%	43,586	3.6%
2023-24 (BE)	14,18,244	1,15,672	8.2%	1,19,510	8.4%	24,384	1.7%
2024-25 (BE)	14,39,780	1,20,451	8.2%	1,21,023	8.4%	36,212	2.5%
Total	**60,56,808**	**4,99,897**	**8.3%**	**4,63,393**	**7.7%**	**1,51,440**	**2.5%**

*FY 2024-25: The Due amount has been calculated by the new guidelines issued by NITI Aayog on Dated 1 April 2018 available in eUthan Portal,MSJE, GoI. This Guideline gives Ministry wise allocation for SCs and has named it as DAPST(Development Action Plan For Schedule Tribes) vide. As per the Guidelines each obligatory Ministry/Department is given a set proportion of the CS+CSS to be earmarked as the Budget for SC and ST schemes.
1. As per the NITI Aayog guideline on DAPSC & DAPST the total Due allocation comes 8.2% in stead of 8.6% which is prescribed by earstwhile SCP & TSP Policy

Source: Union Budget Expenditure Profile FY2020-21 to FY2024-25

4. आजीविका

भारत ने सतत विकास उद्देश्य और एजेंडा 2030 पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संदर्भ में भारत हमेशा से ही प्रेरणा का स्रोत रहा है और भारत ने वैश्विक स्तर पर कई विकास क्षेत्रों में अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई है - भारतीय मूल के लोगों का वैश्विक राजनीति, व्यवसाय, नवाचार, इत्यादि जैसे क्षेत्रों में दबदबा रहा है। किसी भी अमीर देश को उठा कर देख लें, वहां आपको अर्थव्यवस्था और वैश्विक राजनीति से जुड़े बड़े पदों पर बैठे भारतीय मूल के लोग मिल जाएंगे। हालांकि, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीयों ने वैश्विक स्तर पर अपना लोहा मनवाया है, लेकिन विडंबना यह है कि भारत के भीतर, बड़ी संख्या में दलित, आदिवासी और अन्य हाशिए के समुदायों के सदस्य आज भी संघर्ष का जीवन जी रहे हैं।

देश में दलितों का सिर्फ 8% भूमि पर स्वामित्व है जो दुखद तो है लेकिन चौंकाने वाला नहीं है क्योंकि दलितों को हाशिए पर धकेलने और उन पर अत्याचार करने की प्रक्रिया हज़ारों सालों से चली आ रही है। आदिवासी, खासतौर पर, वे जो अपनी आजीविका के लिए वन उत्पाद पर निर्भर हैं, लगातार अपनी आजीविका खोते जा रहे हैं क्योंकि 'कार्बन सिंक' बनाने की होड़ में अपनाए जा रहे वन संरक्षण के मॉडल के तहत उन्हें तेज़ी से अपने जंगलों से बेदखल किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों को दिए गए अधिकारों को कमज़ोर बनाने के उद्देश्य से हाल ही में वन अधिकार अधिनियम में किए गए बदलावों के कारण पैदा हुई अनिश्चितता ने वन-निवासी समुदायों के अधिकारों पर गहरा प्रहार किया है। नलिन सिंह नेगी और सुजाता गांगुली द्वारा किए गए अध्ययन, 'विकास परियोजना बनाम भारत की आंतरिक रूप से की विस्थापित जनसंख्या: एक साहित्य-आधारित समीक्षा'[1] के अनुसार 1961 और 2011 के बीच 5 करोड़ से अधिक लोगों को जंगलों से विस्थापित किया गया।

मनरेगा देश की प्रमुख रोज़गार गारंटी योजना है जिसका देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें से 10,500 करोड़ रुपये एससी बजट में से लिए गए थे और 7,350 करोड़ रुपये एसटी बजट से। इससे पहले के वित्त वर्ष 2022-23 में, मनरेगा के लिए 11,428 करोड़ रुपये एससी बजट में से और 26,809 करोड़ रुपये एसटी बजट से लिए गए थे। वित्त वर्ष 2014 से 2021 के बीच 9,310 करोड़ रुपये का आवंटन (बजटीय अनुमान) किया गया था जबकि अंत में किया गया वास्तविक खर्च 13,772.1 करोड़ रुपये था, यानी एससी बजट से 4462.1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च की गई और एसटी बजट से 4271.7 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च की गई। यह एक सामान्य योजना है जिसके लिए एससी और एसटी बजट से बड़े पैमाने पर पैसा लिया जा रहा है लेकिन जब एससी और एसटी मज़दूरों को वेतन के भुगतान में प्राथमिकता देने का प्रस्ताव रखा गया था, तो विभिन्न राज्यों की कड़ी आपत्ति की वजह से वर्ष 2021 में पारित किए गए इस आदेश को वापिस ले लिया गया। इस वित्त वर्ष 2024-25 में, एससी बजट से 13250 करोड़ रुपये और एसटी बजट से 10355 करोड़ रुपये मनरेगा

तालिका 4: वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक केंद्रीय बजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ी योजनाओं के लिए आवंटित की गई राशि का उपयोग (करोड़ रुपये)

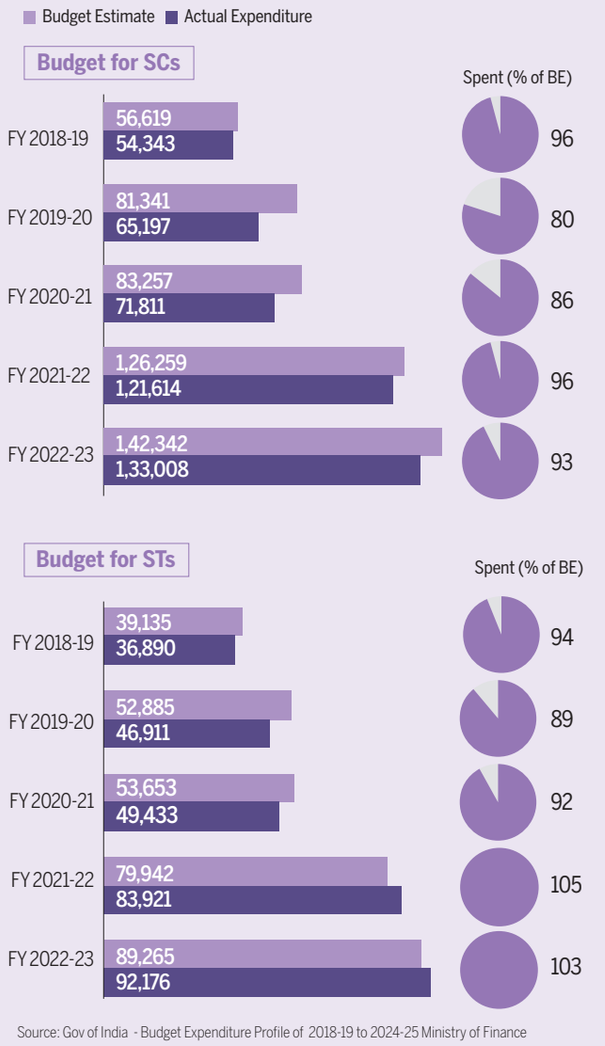

Source: Gov of India - Budget Expenditure Profile of 2018-19 to 2024-25 Ministry of Finance

योजना के लिए आवंटित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए वित्त वर्ष 2017-21 के बीच, एससी बजट से कुल 2157.1 करोड़ रुपये आवंटित (बजट अनुमान) किए गए जबकि वास्तविक खर्च 1710 करोड़ रुपये था, और पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया था। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए "ऋण वृद्धि गारंटी योजना" के तहत अनुसूचित जाति के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया था और इस वित्त वर्ष भी इस योजना के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है। 'प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना' देश में अनुसूचित जाति समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लागू की जाने वाली एक प्रमुख योजना है। वित्त वर्ष 2017-21 के बीच, आवंटन

1 https://www.researchgate.net/publication/336057705_Development_Projects_vs_Internally_Displaced_Populations_in_India_A_Literature_Based_Appraisal

(बजट अनुमान) 1800 करोड़ रुपये था और वास्तविक खर्च 1820.3 करोड़ रुपये था और पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में कुल बजटीय आवंटन में बढ़ोत्तरी करते हुए 2050 करोड़ रुपये दिए गए, जो एक सराहनीय कदम है। इसी तरह, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास योजना के तहत, वित्त वर्ष 2023-24 में 288.5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो एक बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि वित्त वर्ष 2017-21 के दौरान इस योजना के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई थी। इस वित्त वर्ष 2024-25 में, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के लिए 2150 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री जनजातीय विकास योजना के लिए 164.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मछली पालन और पानी के जहाज तोड़ने के उद्योग में लगे दलितों और आदिवासियों की समस्यों पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रुरत है, क्योंकि दलित और आदिवासी इलाकों से कई मज़दूर जहाज तोड़ने के उद्योग में काम करने के लिए पलायन करते हैं जहां उन्हें न सिर्फ जानलेवा और जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, बल्कि उन्हें सामाजिक और जीवन सुरक्षा से वंचित रखा जाता है। दलित मछुआरों को अक्सर पहचान के संकट की ओर धकेला जाता है जिसके चलते उन्हें अपने अधिकारों से वंचित रखा जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के तहत, पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में 76.6 करोड़ रुपये की राशि आवंटित (बजट अनुमान) की गई थी जो इस वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 60.50 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत, पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में एससी के लिए आवंटन 336 करोड़ रुपये था, जो इस वित्त वर्ष 2024-25 395.32 करोड़ रुपये है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिए एसटी बजट से 182.56 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और इस वित्त वर्ष 2024-25 में 214.7 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

बड़े पैमाने पर आवंटन किए जाने के बावजूद, विडंबना यह है कि ज़्यादातर दलित भूमिहीन हैं और इसलिए इन दोनों योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं, तो इन योजनओं का लाभ किन्हें मिल रहा है? इन चुनौतियों और रुकावटों को संबोधित करना बहुत ज़रूरी है। जलवायु परिवर्तन की और मछली पालन के कॉरपोरेटीकरण की वजह से भी दलित मछुआरे गहरे संकट का सामना कर रहे हैं और इसलिए उनके रोज़गार से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की ज़रुरत है।

5. सफाईकर्मचारी और फ्रंटलाइन कर्मचारी

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम, 2013 के ज़रिए किसी से भी मैन्युअल स्केवेंजिंग (मैला ढोने का काम) करवाने को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बाद सरकार ने 2014 में 'खुले में शौच से मुक्ति' जैसी योजनाओं की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करना और सभी घरों में पक्का शौचालय उपलब्ध कराना था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस कार्यक्रम के शुरू होने से अब तक, कुल 10.9 करोड़ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए जा चुके हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, करीब 1 लाख गांवों ने खुद को 'खुले में शौच मुक्त गांव' घोषित किया है। लेकिन, मैनुअल स्कैवेंजर्स (मैला ढोने वाले), नाली और मैनहोल की सफाई का काम करने वाले कर्मचारियों की ज़िंदगी और पुनर्वास की प्रक्रिया पर गहरी नज़र डाली जाए, तो 2013 अधिनियम के प्रावधानों और सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बीच की खाई साफ़ दिखाई देने लगती है। यह कहते हुए कि सभी अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित कर दिया गया है, सरकार मैला ढोने का काम करने वालों के अस्तित्व से ही इनकार करती है। सरकार ने 2013 अधिनियम के अनुसार, मैला ढोने का काम करने वालों की पहचान करने के लिए अभी तक राष्ट्रीय-स्तरीय सर्वेक्षण नहीं कराया है। राष्ट्रीय सफाईकर्मचारी वित्त और विकास निगम के आंकड़ों के अनुसार, अभी तक 58,098 लोगों की मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में पहचान की गई है और वेबसाइट पर यह दावा किया गया है कि इन सभी को एक-बारी नकद सहायता की राशि का भुगतान किया जा चुका है। लेकिन इस बात का कोई ज़िक्र नहीं किया गया है कि अधिनयम के अनुसार राष्ट्रीय सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है। वर्ष 2013 और 2018 में किए गए सर्वेक्षण कुछ ही जिलों में किए गए थे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक स्पष्टीकरण में कहा गया है कि देश के 766 जिलों में से अभी तक 530 जिलों को ही 'मैन्युअल स्कैवेंजिंग मुक्त' घोषित किया गया है।[2]

वर्ष 2022 से, मैनुअल स्कैवेंजर्स पुनर्वास योजना को बंद करके सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत 'नमस्ते' नाम की नई योजना की शुरुआत की गई। इस नई योजना के तहत, सफाई के काम के यंत्रीकरण और इससे जुड़े सफाई-कर्मचारियों के कौशल्य विकास पर ज़ोर दिया जा रहा है, लेकिन इसके तहत दलितों पर, और विशष रूप से वाल्मीकि समुदाय पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी इस काम को थोपे जाने से जुड़े पहलुओं की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। समुदाय का नाम बदल देने या उनके योगदान की भूरी-भूरी प्रशंसा करने से, उस हिकारत भरे रवैया पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है जो समाज दलितों के प्रति अपनाता है, और जिसके चलते कैसे न कैसे दलितों को मैले समझे जाने वाले इस काम की ओर धकेल दिया जाता है। मैला ढोने का काम करने वाले लोगों के अस्तित्व से आंखें फेरने के ज़रिए सरकार उन्हें और ज़्यादा हाशिया और गरीबी की तरफ धकेल रही है।

नाली की सफाई करने वाले कर्मचारी की इस काम के दौरान होने वाली मौतें लगभग रोज़मर्रा की खबर बन गई है। दलित और आदिवासियों की मौतों की इन दुखद घटनाओं को अख़बारों और डिजिटल माध्यमों में न के बराबर जगह दी जाती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, श्री रामदास अठावले ने लोकसभा में बताया कि 2018 और नवंबर 2023 के बीच, नाली और सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए देश में कुल 443 व्यक्तियों की जान गई, लेकिन सफाई कर्मचारी आंदोलन जैसे गैर-सरकारी संगठनों के आंकड़ों के अनुसार इस तरह की घटनाओं में एक के बाद एक 1760 लोगों की मौत हुई है। जलवायु

2 'सर्वेक्षण में मैन्युअल स्कैवेंजर का औचित्य,' 6 जुलाई 2023, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1942851

परिवर्तन के इस दौर में जब दुनिया के कई हिस्से पानी की कमी की गिरफ्त में आने वाले हैं, क्या गड्ढे वाले शौचालय और सफाई प्रक्रिया का यंत्रीकरण, जो पानी के अत्यधिक इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं, इस समस्या को सुलझा सकेंगे? क्या यह उन ग्रामीण इलाकों तक पहुंच पाएंगे जहां मैला ढोने की प्रथा को उसके सबसे घिनौने रूप में आज भी देखा जा सकता है? हम किन टिकाऊ विकल्पों का विकास कर रहे हैं?

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 अब एक दशक पूरे कर चुका है। पिछले 10 सालों (वित्त वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक) की ओर नज़र डालें तो इस दौरान 1273.2 करोड़ रुपये के कुल आवंटन (बजट अनुमान) में से 231.2 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया। वर्ष 2022 में 'नमस्ते' नाम की एक नई केंद्रीय-क्षेत्र योजना की शुरुआत की गई जिसके लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 97.4 करोड़ का आवंटन (बजट अनुमान) किया गया। यहां यह रेखांकित करना बहुत ज़रूरी है कि मैला ढोने के पूरे मुद्दे को मानवाधिकार के मुद्दे के बजाय यंत्रीकरण की समस्या में बदला जा रहा है, और नज़रिए का यह बदलाव दलित समुदाय के लिए बहुत खतरनाक है जिनके मानवाधिकारों को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। इस नई योजना में मैला ढोने का काम करने वालों के कल्याण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

स्वच्छ भारत मिशन एक सामान्य योजना है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के लिए वित्त वर्ष 2021-24 की अवधी के दौरान, 16527.9 करोड़ रुपये का आवंटन (बजट अनुमान) किया गया था, जिसमें से वास्तविक खर्च 14209.8 करोड़ रुपये का किया गया, यानी 2318.1 करोड़ रुपये की आवंटित राशि का इस्तेमाल नहीं किया जा सका। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में आवंटित राशि (बजट अनुमान) 1354.9 करोड़ रुपये थी, और इस वित्त वर्ष में भी एससी बजट से इस योजना के लिए उतनी ही राशि आवंटित की गई है; और एसटी बजट से 615.9 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जिसे इस वित्त वर्ष 2024-25 में घटाकर सिर्फ 0.01 करोड़ रुपये कर दिया है, जो बहुत चौंकाने वाला है।

6. सार्वजनिक स्वास्थ्य

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता ज़रूरी बुनियादी ढांचे की मौजूदगी पर निर्भर करती है, जो किसी भी देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और देखभाल संरचना की प्रभावशालिता की कसौटी होता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने के लिए भारत को राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सूझबूझ, और लोकतांत्रिक दृष्टि की ज़रुरत है। सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी रूप से सामाजिक न्याय से जुड़ा है। अलमा-आटा[3] की घोषणा में तय किए गए 3% के लक्ष्य के मुकाबले, भारत में स्वास्थ्य पर होने वाले सरकारी खर्च का जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में अनुपात कभी भी 1.1% से ज़्यादा नहीं रहा है। लेकिन इस आंकड़े से जुड़े हुए कुछ पहलुओं को ध्यान में रखने की ज़रुरत है। पहला, सरकारी स्वास्थ्य खर्च में केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों का भी योगदान होता है, हालांकि, ऐतिहासिक रूप से, केंद्रीय खर्च राज्य सरकारों के खर्च से ज़्यादा रहा है। इसमें सरकारी अस्पतालों के संचालन और नर्स कर्मचारियों के वेतन पर होने वाला खर्च भी शामिल है जिसे ज़्यादातर राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाता है, लेकिन कई राज्य सरकारें इसले लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने में मुश्किलों का सामना करती हैं।[4]

भारत में स्वास्थ्य परिणामों पर जाति पहचान का गहरा असर होता है, जिसका एक कारण खुले तौर पर किया जाने वाला भेदभाव है जो प्रभावी चिकित्सा से वंचित करता है। दूसरा कारण है कि अनुसूचित जाति समुदायों के सदस्य बड़ी संख्या में गरीबी में दबे हुए हैं जिससे बाहर निकलने के उनके पास बहुत कम अवसर हैं, और यह भी उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, हर तीन में से एक दलित व्यक्ति बहुआयामी गरीबी का शिकार है, जिसकी वजह से वे सरकारी अस्पतालों का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इस गरीबी में आर्थिक, शैक्षिक और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। भारत में जिन जगहों पर दलित समुदाय रहते हैं और जहां स्वास्थ्य केंद्रों बनाए गए हैं, उसमें सामंजस्य की कमी देखी जा सकती है। करीब 90% दलित ग्रामीण इलाकों में रहते हैं जबकि तीन-चौथाई स्वास्थ्य केंद्र और संसाधन बड़े शहरों में मौजूद हैं।[5] संसाधन और बजट के असंतुलित आवंटन, सेवाओं की अपर्याप्त उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की खामियां, मानव संसाधन का आभाव, महंगी सेवाएं और प्रशासन से जुड़ी दिक्क्तों जैसे सामने दिखने वाले मुद्दों के प्रभाव के कारण सेवाओं में भेदभाव और विभिन्न सामाजिक समूहों की स्वास्थ्य स्थिति के बीच में मौजूद गैर-बराबरी के मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है।[6]

भारत के सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, आयुष्मान भारत में सेवाओं से जुड़ी मुश्किलें वर्ष 2018 में कार्यक्रम की शुरुआत से लगातार बनी हुई हैं। इस मुफ्त सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत, लक्षित समूहों द्वारा सेवाओं के उम्मीद से कहीं कम इस्तेमाल को देखकर आयुष्मान भारत के उच्च अधिकारी भी भौचक्के रह गए।[7] नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा किए गए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (जो आयुष्मान भारत का एक हिस्सा है) के मूल्यांकन में बीमा दावों के भुगतान में बड़े स्तर पर भ्रस्टाचार का खुलासा किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य-स्तरीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों ने अस्पतालों को पैसे के भुगतान से पहले उनके दावों की सावधानी से जांच नहीं की। तेज़ी से देखे गए स्वस्थ्य सुधारों के बावजूद, स्वास्थ्य सेवाओं की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर, स्वास्थ्य पर बढ़ता हुआ सरकारी खर्च, और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर अपर्याप्त खर्च अभी भी चुनौती बने हुए हैं। आयुष्मान भारत

3 1978 की अलमा-आटा घोषणा बीसवीं सदी में सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई जिसमें "सभी के लिए स्वास्थ्य" को हासिल करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रमुख माना गया। अधिक जानकारी के लिए देखें: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/almaata-declaration-en.pdf?sfvrsn=7b3c2167_2

4 देसिराजू, के. (2021). इश्यूज इन पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, श्री केशव देसिराजू का मुख्य भाषण, जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ, 43 (सप्लिमेंट_2), ii3-ii9.

5 पटेल, आर. (2023), https://www.thinkglobalhealth.org/article/caste-out

6 जॉर्ज, एस. (2015). कास्ट एंड केर: इज़ इंडियन हेल्थकेयर डेलिवरी सिस्टम फेवरबल फॉर दलित्स? (सं 350), इन्स्टिट्यूट फॉर सोशियल आंड एकनामिक चेंज।

7 पांडे, एन., झा, एस., & राई, वी. (2021). आयुष्मान भारत: सर्विस अडॉप्शन चैलेंजेज़ इन यूनिवर्सल हेल्थकेयर सिस्टम, साउत एशियन जर्नल ऑफ बिज़नेस एंड मॅनेजमेंट केसस, 10(1), 35-49.

का उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के सतत विकास लक्ष्य पूरा करना भी है। सभी भारतीयों को उचित और सही दाम पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के ज़रिए ही यह कार्यक्रम अपने मिशन तक पहुंच पाएगा।[8] वित्तीय वर्ष 2017-2021 के दौरान, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी प्रमुख योजना के लिए एससी के लिए कुल आवंटन 3322.6 करोड़ रुपये था और इसमें से 2086.6 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया। कम दामों में दवाइयां उपलब्ध कराने वाली जन औषधि योजना के लिए कुल आवंटन सिर्फ 4 करोड़ रुपये था जबकि 4.7 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-2021 के दौरान, एसटी के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आवंटन 1533.22 करोड़ रुपये था, जिसमें से 1308.1 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया। कम दामों में दवाइयां उपलब्ध कराने वाली जन औषधि योजना के लिए आवंटन सिर्फ 3 करोड़ रुपये था जबकि 4.5 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एससी के लिए 9404.33 करोड़ रुपये और एसटी के लिए 4872.12 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसी तरह, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के योगदान के ज़रिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आवंटन एससी के लिए 1240.55 करोड़ रुपये और एसटी के लिए 704.05 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत एससी के लिए 2493.27 करोड़ रुपये और एसटी के लिए 1334.57 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आवंटन में इस वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ोत्तरी की गई है, जो एससी के लिए 64.83 करोड़ रुपये और एसटी के लिए 15.08 करोड़ रुपये है। जन औषधि योजना के लिए इस वर्ष आवंटन, एससी के लिए 23.62 करोड़ रुपये और एसटी के लिए 12.24 करोड़ रुपये है।

7. शैक्षिक न्याय

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

शिक्षा विकास की पहली शर्त है। शिक्षा व्यक्ति के सामाजिक स्थिति के विकास में कई तरह से योगदान देती है। शिक्षा के ज़रिए हासिल होने वाले ज्ञान, कौशल, सोच और रवैये की मदद से हर व्यक्ति उचित स्तर का जीवन हासिल कर सकता है। सभी को शिक्षा और ज्ञान हासिल होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में दलितों का पिछड़ापन जाति-आधारित भेदभाव के लंबे इतिहास और आर्थिक-सामाजिक कमज़ोरी से जुड़ा हुआ है। अक्सर दलित आबादी में शिक्षा के निचले स्तर के लिए उनके परिवार की गरीबी और अशिक्षा को दोषी ठहराया जाता है। भारत में सिर्फ सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण लागू किया जाता है; निजी संस्थानों को इन प्रावधानों से छूट दी गई है। यही नहीं, यह प्रावधान उन दलित समुदायों पर लागू नहीं होते हैं जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म को अपनाया है।[9]

शिक्षा की मदद से लोगों की ज़िन्दगियों को बदला जा सकता है। शिक्षा के ज़रिए जाति व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर धकेल दिए गए समुदाय उन कानूनों और रीति-रिवाज़ों को चुनौती दे सकते हैं जिनका लाभ सिर्फ तथाकथित ऊंची जाति के सदस्यों को मिलता है।[10] दलित बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत में कई तरह की पहल की गई है।

एससी/एसटी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति नाम की एक केंद्रीय-समर्थित योजना की शुरुआत जुलाई 1, 2012 को की गई थी। यह छात्रवृत्ति एससी/एसटी छात्रों के माता-पिता को दी जाती है ताकि वे अपने बच्चों को 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ने के लिए भेज सके और इसके ज़रिए, खासतौर पर प्राथमिक स्कूल से माध्यमिक स्कूल के दौरान होने वाले ड्राप-आउट (स्कूल छोड़ने) दर को कम किया जा सके। लेकिन, केंद्र सरकार ने अब घोषणा की है कि यह योजना अब पहली से आठवीं कक्षा के छात्रों को नहीं दी जाएगी क्योंकि उनकी शिक्षा के लिए "शिक्षा का अधिकार कानून" के तहत व्यवस्था की जा रही है।[11] मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के लिए एससी के लिए वित्त वर्ष 2017-21 के दौरान कुल आवंटन 1955 करोड़ रुपये था, जिसमें से 1671.2 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया। मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के लिए एसटी के लिए वित्त वर्ष 2017-21 के दौरान कुल आवंटन 1755 करोड़ रुपये था, जिसमें से 1688.6 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया।

इस वित्त वर्ष 2024-25 में मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के लिए एससी के लिए 500 करोड़ रुपये और एसटी के लिए 440.36 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्ति के केंद्र सरकार के योगदान को, वित्त वर्ष 2022-23 तक, आधार-आधारित भुगतान प्रणाली की मदद से सीधे छात्रों के खातों में जमा किया जाता रहा है।

मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति योजना

उच्च शिक्षा के आंकड़ें दर्शाते हैं कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के मुकाबले उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों की भागीदारी काफी कम है।[13] सरकारी विश्वविद्यालयों में 15% सीटें अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आरक्षित की जाती हैं। तकनीकी शिक्षा संस्थानों में भी यही व्यवस्था है। लेकिन उच्च शिक्षा के कई तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रमों में यह सीटें खाली रहती हैं। कई विश्वविद्यालय अक्सर दलित छात्रों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), भारत सरकार द्वारा जारी की गई नीतियों का उल्लंघन करते हैं। पूरी

8 ग्रेवाल, एच., शर्मा, पी., ढिल्लों, जी., मुंजाल, आर. एस., वेर्मा, आर. के., & कश्यप, आर. (2023). यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया: एन इन-डेप्थ एग्ज़ॅमिनेशन ऑफ दी आयुष्मान भारत इनिशियेटिव. कूरेउस, 15(6).

9 रंका (2014), https://www.academia.edu/8992185/The_scenario_of_education_in_Dalits

10 राज और अन्य, (2020), https://www.jcreview.com/admin/Uploads/Files/61a928b9832d86.84551291.pdf

11 https://www.thehindu.com/news/national/karnataka/union-government-stops-pre-matric-scholarship-for-sc-st-obc-and-minority-students-of-class-1-to-8-and-explains-why/article66195791.ece

12 https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1985431

13 कमलाकर (2023),https://www.academia.edu/106359341/Dalits_and_Higher_Education_in_India

शिक्षा व्यवस्था में व्यापक स्तर पर दलित छात्रों के खिलाफ मौजूद भेदभाव को ध्यान में रखते हुए इससे जुड़े नियमों और आरक्षण नीतियों को सख्ती से लागू करने की ज़रुरत है।[14]

मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य स्कूल और कॉलेज के स्तर पर दलित और आदिवासी छात्रों की भागीदारी बढ़ाना, ड्रॉप-आउट को घटाना, छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों की भागीदारी में लिंग-आधारित अंतर को घटाना और समाज में समानता को बढ़ावा देना है। इसकी मदद से छात्र आर्थिक दिक्कतों का सामना किए बिना अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं, और भविष्य में बेहतर रोज़गार हासिल कर सकते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि योग्यता-आधारित आर्थिक सहायता छात्रों की समय पर पढ़ाई पूरी करने में मदद करती है और आय-आधारित आर्थिक सहायता ड्रॉप-आउट दर में गिरावट लाती है। बढ़ती शिक्षा दर की मदद से हर प्रकार के सामाजिक भेदभाव को दूर किया जा सकता है और एक स्वस्थ और विकसित देश की नींव डाली जा सकती है।[15] वित्त वर्ष 2017-21 के दौरान मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति योजना के तहत एससी के लिए आवंटन 15677.8 करोड़ रुपये था, जबकि 18042.4 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया। वित्त वर्ष 2017-21 के दौरान मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति योजना के तहत एसटी के लिए आवंटन 8439.6 करोड़ रुपये था, जबकि 9062.7 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया।

इस वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में, मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति योजना के तहत एससी के लिए 6349.97 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और एसटी के लिए 2374.15 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

एससी और एसटी समुदायों की उच्च शिक्षा की ओर देखें तो उच्च शिक्षा विभाग ने एससी आवंटन के तहत 4180.60 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और एसटी के लिए 2126.30 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हालांकि एससी और एसटी की उच्च शिक्षा के लिए किए गए आवंटन में क्रमशः 3.7 % और 3.2 % की बढ़ोत्तरी की गई है, लेकिन इनमें शामिल की गई कोई भी योजना एससी और एसटी छात्रों को सीधे तौर पर लक्षित लाभ नहीं पहुंचाती है। उदाहरण के तौर पर, 'केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान' योजना के तहत एससी बजट में से 1103 करोड़ रुपये और एसटी बजट से 536 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के लिए एससी बजट में से 425 करोड़ रुपये और एसटी बजट से 225 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। लेकिन इनमें से किसी भी योजना का उद्देश्य विशेष रूप से एससी और एसटी विकास नहीं है। इसलिए, उच्च शिक्षा विभाग के तहत एससी और एसटी के लिए आवंटन में बढ़ोत्तरी किए जाने के बावजूद, इनमें से ज़्यादातर योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर एससी और एसटी छात्रों तक नहीं पहुंचेगा।

उदाहरण के तौर पर, 'केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान' योजना के तहत एससी बजट में से 1103 करोड़ रुपये और एसटी बजट से 536 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं; 'एनआईटी और आईआईईएसटी के लिए समर्थन' योजना के तहत एससी बजट में से 353 करोड़ रुपये और एसटी बजट से 201 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं; अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को दिए जाने वाले बजटीय सहयोग के लिए एससी बजट में से 60 करोड़ रुपये और एसटी बजट से 24 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं; विश्व-स्तरीय संस्थान योजना के लिए एससी बजट में से 341 करोड़ रुपये और एसटी बजट से 171 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं; राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए एससी बजट में से 315 करोड़ रुपये और एसटी बजट से 178 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के लिए एससी बजट में से 425 करोड़ रुपये और एसटी बजट से 225 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं; भारतीय प्रौद्योगिकी संसथानों को दिए जाने वाले आर्थिक सहयोग के लिए एससी बजट में से 623 करोड़ रुपये और एसटी बजट से 310 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन सभी योजनाओं के तहत एससी बजट में से कुल 3220 करोड़ रुपये और एसटी बजट से कुल 1645 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि इनका एससी और एसटी छात्रों के कल्याण और विकास से कोई सीधा संबंध नहीं है।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आवंटन 4008.6 करोड़ रुपये है और कुल लाभार्थियों की संख्या 62.87 लाख है; वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आवंटन 4392.5 करोड़ रुपये है और कुल लाभार्थियों की संख्या 30.25 लाख है और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आवंटन 4392.5 करोड़ रुपये है और कुल लाभार्थियों की संख्या 46.41 लाख है।

विदेश में पढ़ाई पूरी करने के इच्छुक एससी और एसटी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना जो स्नातकोत्तर और पीएचडी डिग्री के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली एक केंद्रीय-क्षेत्र योजना है। पिछले तीन सालों में एससी के लिए किए गए आवंटन का रुझान इस प्रकार रहा है: वित्त वर्ष 2020-21 में 20 करोड़ रुपये; वित्त वर्ष 2021-22 में 30 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022-23 में 36 करोड़ रुपये। इसी तरह, एसटी के लिए किए गए आवंटन का रुझान इस प्रकार रहा है: वित्त वर्ष 2020-21 में 2 करोड़ रुपये; वित्त वर्ष 2021-22 में 3 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022-23 में 4 करोड़ रुपये। यह आवंटन समुदायों की ओर से बढ़ती मांग के मुकाबले बहुत कम है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति के तहत एससी के लिए आवंटन 95 करोड़ रुपये (समग्र श्रेयस कार्यक्रम के अंतर्गत) और एसटी के लिए आवंटन 6 करोड़ रुपये है। हालांकि एससी के लिए किया गया आवंटन इस वर्ष कुछ हद तक बढ़ाया गया है लेकिन एसटी के लिए किया गया आवंटन पिछले साल जितना ही है। इसी तरह, इस वित्त वर्ष में राजीव गांधी राष्ट्रीय फ़ेलोशिप, जिसे अब एससी छात्रों के लिए राष्ट्रिय फ़ेलोशिप कहा जाता है (समग्र श्रेयस कार्यक्रम के अंतर्गत) उसके लिए आवंटन 188 करोड़ रुपये है और एसटी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रिय छात्रवृत्ति और

14 वही, पृ 1-9

15 मंडल व अन्य (2021), https://www.researchgate.net/publication/351020106_ATTITUDE_TOWARDS_EDUCATION_OF_POST-MATRIC_SCHOLARSHIP_RECIPIENT_AND_NON-RECIPIENT_STUDENTS_OF_12TH_GRADE_UNDER_WBCHSE_BOARD_OF_WEST_BENGAL_INDIA_Article_History/link/609195b9299bf1ad8d789afe/download

तालिका-5: एससी और एसटी योजनाओं की प्रासंगिकता - वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में लक्षित, गैर-लक्षित (सामान्य) और गैर-लक्षित (अप्रासंगिक) योजनाओं के लिए आवंटन (करोड़ रुपये)

	Total Relevant	Total General	Total Obsolete
% allocation	30.5%	52.6%	16.9%
Fund allocation	₹78,138 Cr	₹1,34,800 Cr	₹43,163 Cr

NOTE :- The top 50 Schemes account for 90% of the total Schemes under AWSC & AWST. Schemes highlighted under the color Green are Relevant and are targeted Schemes which ensure direct benefit, under the color yellow are General which benefit everybody and not necessarily SCs or STs, and under Red are obsolete which has no relevance for the SC/ST communities. Yellow and Red together form the Non-Targeted schemes.

Relevant schemes | Obsolete schemes | General flow schemes

	Name of the Schemes	Allocation to AWSC	Allocation to AWST	Total
	Ministry/Department: Agricultural Research and Education			
✓	Programme for Development of Scheduled Tribes (PM Vanbandhu Kalyan Yojna) Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojna (PMAAGY)	0	1,000	1,000
	Agriculture and Farmers Welfare			
✓	Eklavya Model Residential Schools (EMRS)	0	6,399	6,399
!	Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan)	10,177	5,117	15,294
✗	Modified Interest Subvention Scheme (MISS)	3,962	2,154	6,116
✓	Grants under provision to Article 275(1) of the Constitution	0	1,600	1,600
!	Crop Insurance SchemePradhan Mantri Fasal Bima Yojana	2,424	1,256	3,679
!	Krishionnati Yojana.	1,213	1,084	2,297
!	Rashtriya Krishi Vikas Yojna	1,182	1,051	2,233
	Animal Husbandry and Dairying			
!	Livestock Health and Disease Control Programme	511	273	784
	Coal			
✗	Schemes of UT Transport	0	446	446
	Commerce			
!	Other Establishment	0	420	420
	Cooperation			
!	Accelerated Irrigation Benefit Programme and National/Special Projects	0	250	250
✓	Programme for Development of Scheduled Tribes (PM Vanbandhu Kalyan Yojna) Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM JANMAN)	0	240	240
	Culture			
!	Tribal Area Component	0	224	224
	Drinking Water and Sanitation			
!	Jal Jeevan Mission (JJM) / National Rural Drinking Water MissionJal Jeevan Mission/National Rural Drinking Water Programme - Programme Component	15,436	7,016	22,452
!	SBM-RuralProgramme Component	1,355	616	1,971
	Electronics and Information Technology			
✗	Production Linked Incentive Scheme (PLI)Production linked Incentive for Large Scale Electronics Manufacturing	508	410	919
✗	Modified Programme for Development of Semiconductors and Display Manufacturing Ecosystem in IndiaModified Scheme for setting up of Compound Semiconducors/Silicon Photonics/Sensors Fab/Discrete Semiconductors Fab and Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP)/Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) facilities in India	349	282	630
	Fertilisers			
✗	Urea SubsidyPayment for Indigenous Urea	8,378	4,444	12,822
✗	Nutrient Based SubsidyPayment for Indigenous P and K Fertilizers	2,307	1,247	3,554
✗	Urea SubsidyPayment for Import of Urea	2,028	1,102	3,130
✗	Nutrient Based SubsidyPayment for Imported P and K Fertilizers	1,643	903	2,546
!	Prime Minister's Development Initiative for North East Region (PM-DevINE)	0	580	580

Continued ...

	Name of the Schemes	Allocation to AWSC	Allocation to AWST	Total
	Fisheries			
!	Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)	395	215	610
	Food and Public Distribution			
!	Food Subsidy to Food Corporation of India under National Food Security Act.	12,254	6,808	19,061
!	Food Subsidy for Decentralized Procurement of Foodgrains under NFSA	5,901	3,057	8,959
✗	Assistance to States Agencies for Intra-State Movement of Foodgrains and FPS Dealers Margin under NFSA	588	305	893
	Health and Family Welfare			
!	Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening , National Health Programme and National Urban Health MissionGross Budgetary Support (GBS)	4,985	2,610	7,594
✗	Infrastructure MaintenanceGross Budgetary Support (GBS)	1,735	811	2,546
✓	Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY)Support from (PMSSN)	1,241	704	1,945
!	Human Resources for Health and Medical Education	747	387	1,134
✓	Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PMABHIM)	667	345	1,013
	Higher Education			
✗	Grants to Central Universities (CUs)	1,103	536	1,639
✗	Support to Indian Institutes of Technology	623	310	933
✗	University Grants Commission (UGC)	425	225	650
!	Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIESTGrants to National Institutes of Technology (NITs) and IIEST	353	201	554
✗	World Class Institutions	341	171	512
	Housing and Urban Affairs			
✓	PMAY-Urban (Schemes financed from Central Road and Infrastructure Fund)Other items of States/UTs Component	3,818	1,407	5,225
	Labour and Employment			
!	Employees Pension Scheme, 1995	1,818	942	2,759
	Micro, Small and Medium Enterprises			
!	Guarantee Emergency Credit Line (GECL) facility to eligible MSME borrowers	1,789	989	2,777
!	Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)	863	455	1,318
!	PM Vishwakarma	756	392	1,147
	New and Renewable Energy			
!	Solar Power (Grid)Programme Component	805	850	1,655
	Petroleum and Natural Gas			
!	LPG Connection to Poor Households	755	391	1,146
	Power			
✗	Reform Linked Distribution Scheme	2,453	1,247	3,700
	Rural Development			
✓	Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY)- RuralPMAY-Programme Component	13,625	9,538	23,163
✓	MGNREGA-Programme Component	13,250	10,355	23,605
!	National Rural Livelihood MissionNRLM-Programme Component	4,012	2,808	6,820
!	National Social Assistance ProgammeIndira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS)	1,296	750	2,047
!	National Social Assistance ProgammeIndira Gandhi National Widow Pension Scheme(IGNWPS)	367	226	593
	School Education and Literacy			
!	Samagra ShikshaSupport for Samagra Shiksha	7,535	4,227	11,762
!	Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN)	2,493	1,335	3,828
!	Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS)	1,270	575	1,845
✓	PM Schools for Rising India (PM SHRI)	1,000	575	1,575
!	Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS)	871	436	1,307
	Skill Development and Entrepreneurship			
!	Skill India Programme.Skill India Programme	400	207	607

	Name of the Schemes	Allocation to AWSC	Allocation to AWST	Total
	Social Justice and Empowerment			
✓	Post Matric Scholarship for SCs	6,350	2,374	8,724
✓	Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana (PM AJAY)	2,150	0	2,150
✓	Strengthening of Machinery for Enforcement of Protection of Civil Rights Act, 1995 and Prevention of Atrocities Act, 1989	560	0	560
✓	Pre Matric Scholarship for SCs and Others	500	440	940
	Telecommunications			
✗	Compensation to Service Providers for creation andCompensation to Telecom Service Providers	838	217	1,055
✗	Compensation to Service Providers for creation and augmentation of telecom infrastructure Bharatnet/Compensation to Service Providers for creation and augmentation of telecom infrastructure Bharatnet	706	366	1,071
	Women and Child Development			
!	Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 (Umbrella ICDS - Anganwadi Services, Poshan Abhiyan, Scheme for Adolescent Girls)4591.88	4,872	2,221	7,093
	Total of Top 50 Schemes	**1,57,982**	**98,119**	**2,56,101**
	Total Allocation under SC & ST Budget	**1,65,598**	**1,21,023**	**2,86,621**
	% of Top 50 Schemes against SC & ST Total Budget	**95%**	**81%**	**89%**

फ़ेलोशिप योजना के लिए 165 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

प्रधानमंत्री अनुसंधान फ़ेलोशिप के लिए एससी बजट आवंटन 63 करोड़ रुपये है जो पिछले वित्त वर्ष में 72 करोड़ रुपये था और एसटी आवंटन इस वित्त वर्ष 30 करोड़ रुपये है जो पिछले वित्त वर्ष 34 करोड़ रुपये था। यह बहुत ही निराशाजनक है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और पीएम-उषा जैसी गैर-लक्षित योजनाओं के मुकाबले इस तरह की अच्छी योजनाओं को बहुत ही कम बजट दिया जा रहा है। यह भी दिलचस्पी की बात है कि 'ब्याज सब्सिडी और गारंटी कोष योगदान' के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है। यह योजना भारत में तकनीकी या व्यावसायिक कोर्स करने के लिए उस वक़्त शुरू की गई थी जब शिक्षा ऋणों पर रोक लगाई गई थी। इस योजना के ज़रिए बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे या तीसरे पक्ष की गारंटी के कर्ज़ा लिया जा सकता है और ब्याज पर पूरी सबसिडी दी जाती है। जिन छात्रों के माता-पिता या परिवार की कुल आय 4.5 लाख रुपये तक है, वे इसके लिए आवेदन भर सकते हैं। इस योजना में 28 मार्च, 2018 को कैबिनेट की मंजूरी के साथ बदलाव किए गए थे लेकिन अब वित्त वर्ष 2023-24 से इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।

8. योजनाओं का विश्लेषण

एससी और एसटी योजनाओं की प्रासंगिकता

वित्त वर्ष 2024-25 में एससी बजट के तहत नाममात्र योजनाओं के लिए अतिरिक्त आवंटन

- स्वदेशी यूरिया और यूरिया के आयात के लिए यूरिया सब्सिडी भुगतान: 10,406 करोड़ रुपये
- स्वदेशी और आयातित पोटाश और सोडियम उर्वरकों के लिए पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी भुगतान: 3,950 करोड़ रुपये
- संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस): 3,962.2 करोड़ रुपये
- सुधार से जुड़ी वितरण योजना: 2453 करोड़ रुपये
- सेवा प्रदाताओं को निर्माण कार्य के लिए मुआवजा और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मुआवजा: 1,544 करोड़ रुपये

वित्त वर्ष 2024-25 में एसटी बजट के तहत नाममात्र योजनाओं के लिए अतिरिक्त आवंटन

- स्वदेशी यूरिया और यूरिया के आयात के लिए यूरिया सब्सिडी भुगतान: 5546.38 करोड़ रुपये
- स्वदेशी और आयातित पोटाश और सोडियम उर्वरकों के लिए पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी भुगतान: 2150 करोड़ रुपये
- दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्टर (भारतनेट और दूरसंचार सेवा प्रदाता) के निर्माण और विस्तार के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा: 65 करोड़ रुपये
- सुधार से जुड़ी वितरण योजना: 1247 करोड़ रुपये

एससी बजट के तहत प्रभावी योजनाओं के लिए कम आवंटन

- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए सर्वोच्च श्रेणी की शिक्षा: 110 करोड़ रुपये
- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति: 96 करोड़ रुपये
- राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना: 70 करोड़ रुपये
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र: 66 करोड़ रुपये
- एससी और ओबीसी के लिए मुफ्त कोचिंग: 35 करोड़ रुपये
- एससी और ओबीसी के लिए वेंचर कैपिटल फंड: 10 करोड़ रुपये

एसटी बजट के तहत प्रभावी योजनाओं के लिए कम आवंटन

- राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना: 6 करोड़ रुपये
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र: 22 करोड़ रुपये
- अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष: 30 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप: 30 करोड़ रुपये
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास: 20 करोड़ रुपये

एससी बजट के तहत सामान्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त आवंटन

- जल जीवन मिशन (जेजेएम): 15,436 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान): 10,177 करोड़ रुपये
- प्रजनन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए फ्लेक्सी-पूल कोष: 4,985 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: 2,424 करोड़ रुपये

एसटी बजट के तहत सामान्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त आवंटन

- सड़क विभाग के तहत सड़क कार्य: 16,300 करोड़ रुपये
- जल जीवन मिशन (जेजेएम): 7,016 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान): 5,117 करोड़ रुपये
- प्रजनन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए फ्लेक्सी-पूल कोष: 2610 करोड़ रुपये

9. एससी/एसटी योजनाओं को दी गई मंत्रालय/विभाग-वार प्राथमिकता

डीएपीएससी और एसटी के 2018 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, सबसे कमज़ोर और वंचित समुदायों के विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना मौजूदा सरकार की प्राथमिकता रही है। यह दिशानिर्देश सभी बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा सभी केंद्रीय-प्रायोजित और केंद्रीय-क्षेत्र योजनाओं के लिए किए गए आवंटन में इन समुदायों के लिए बजटीय राशि के आरक्षण को अनिवार्य बनाते हैं। अगर इस आरक्षित बजटीय राशि का इस्तेमाल नहीं होता है तो इसे मंत्री और वित्तीय सलाहकार की अनुमति के साथ उसी मंत्रालय/विभाग की किसी अन्य योजना के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल 41 बाध्य मंत्रालयों/विभागों के लिए प्रस्तावित अनुपात में बजटीय राशि आरक्षित किया जाना अनिवार्य बनाया गया है; यह अनुपात जनसंख्या के अनुपात के आधे या वास्तविक अनुपात में से जो भी ज़्यादा हो, उससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों नोडल मंत्रालयों के लिए - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय - यह अनुपात एससी और एसटी के लिए क्रमशः 72.5% और 100% से कम नहीं होना चाहिए। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों द्वारा लाभार्थी-आधारित केंद्रीय-प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य की एससी और एसटी जनसंख्या के अनुपात में बजटीय राशि आवंटित की जानी चाहिए। इस आरक्षित राशि को मंत्रालय/विभाग के ही भीतर, ऊपर बताई गई स्थिति में, दूसरी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नवीन योजनाओं को शुरू करने के संबंध में यह दिशानिर्देश, समुदायों की ज़रूरतों के अनुरूप उचित परियोजना/योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिले के स्तर पर विशेषज्ञ समूहों के गठन की सलाह देते हैं। इन समुदायों के लिए आरक्षित बजटीय राशि का बेहतर, प्रभावी और असरदार उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर संस्थागत क्षमता का विकास करने के लिए मंत्रालयों और राज्य/केंद्र-शासित प्रदेशों को प्रयास करने चाहिए। मंत्रालयों और राज्य/केंद्र-शासित प्रदेशों को ज़मीनी-स्तरीय अनुभव के आधार पर नई योजनाओं की शुअरुआत करने की पहल करनी चाहिए।

एससी और एसटी बजट के कारगर कार्यान्वयन के लिए, रियल-टाइम डैशबोर्ड की मदद से उत्पाद (आउटपुट) और परिणाम (आउटकम)-आधारित मॉनिटरिंग की जानी ज़रूरी है। सौभाग्यवश, दोनों नोडल मंत्रालय अपने आंकड़े ई-उत्थान पोर्टल पर उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन लाभार्थियों की जानकारी अब भी अपलोड नहीं की गई है जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा, कार्य आवंटन नियम, 1961 में गैज़ेट अधिसूचना संख्या एफ. न. 1 1/21/26/2016-Cab दिनांक 31 जनवरी 2017 के ज़रिए किए गए संशोधन के तहत, एससी और एसटी बजट पर निगरानी रखने की ज़िम्मेदारी दोनों नोडल मंत्रालयों को सौंपी गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित परिणाम बजट में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की 148 योजनाओं के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्य और उत्पाद (आउटपुट) और परिणाम (आउटकम) सूचकांक दिए जाते हैं। इस संदर्भ में, इन दोनों नोडल मंत्रालयों को एससी और एसटी समुदायों के लिए सभी योजनाओं के लिए अलग से परिणाम बजट प्रकाशित करने की पहल करनी चाहिए। इन दोनों बजटों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मूल्यांकन करने में और इसे कारगर बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय बनाने में नीति आयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके ज़रिए एससी और एसटी समुदायों के और बाकी आबादी के विकास के स्तर में मौजूद बड़े अंतर को कम किया जा सकता है।

10. जेंडर बजट विश्लेषण

केंद्र सरकार का 'जेंडर बजट स्टेटमेंट' नीति-निर्धारण के हर स्तर पर लिंग-आधारित नज़रिए को लाने का एक बहुत ही प्रभावी ज़रिया है। लेकिन दलित और आदिवासी महिलाओं के जीवन की हकीकत और उनके लक्ष्यों के बीच अब भी खाई जितना बड़ा अंतर है। पीछे कई सालों से, जेंडर बजट की प्रक्रिया में कई खामियां देखी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद इस प्रक्रिया में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं किए गए हैं, खासतौर पर दलित और आदिवासी महिलाओं के नज़रिए से। जेंडर बजट की प्रक्रिया का उद्देश्य महिलाओं की ज़रूरतों को, और हमारे नज़रिए से, दलित और आदिवासी महिलाओं की आवश्यकताओं को संबोधित करना है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस साल भी वही रुझान देखा गया है: दलित महिलाओं के लिए एससी बजट 19050.24 करोड़ रुपये है और एसटी महिलाओं के लिए यह 4837.25 करोड़ रुपये है। जेंडर बजट[16] और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए आवंटन का हमारा

16 जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग के तहत वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट में जेंडर बजट स्टेटमेंट को इस उद्देश्य से पेश करना शुरू किया है ताकि सरकार के कुल बजट के महिलाओं तक पहुंचने वाले हिस्से का अनुमान लगाया जा सके।

विश्लेषण यह उजागर करता है कि आवंटित राशि बहुत कम है, जो दलित और आदिवासी महिलाओं को दी जाने वाली निचली प्राथमिकता की ओर इशारा करता है। केंद्रीय बजट 2024-25 में सभी केंद्रीय-प्रायोजित और केंद्रीय-क्षेत्र योजनाओं के कुल आवंटन में से दलित महिलाओं के लिए 1.32% राशि और आदिवासी महिलाओं के लिए 0.34% राशि आवंटित की गई है।

इस साल, सरकार ने जेंडर बजट की राशि को बढ़ा कर 309690.1 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं जो सरहनिय है। यह जी20 के नेताओं की नई दिल्ली में सितंबर 9 को की गई घोषणा में शामिल किए गए लिंग-संबंधी मुद्दों और 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के पारित किए जाने के सन्दर्भ में उठाया गया कदम है। लेकिन दलित और आदिवासी महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा नहीं बदला है। सदन में पेश किए गए जेंडर बजट स्टेटमेंट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 100% महिअलों से जुड़े कार्यक्रमों के लिए (भाग ए) आवंटन (बजट अनुमान) 112394.15 करोड़ रुपये है और भाग बी की योजनओं के लिए आवंटन 197295.95 करोड़ रुपये है। जेंडर बजट स्टेटमेंट को दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है: भाग ए जिसमें सिर्फ महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को रखा जाता है और भाग बी जिसमें ऐसी योजनाएं होती हैं जिनमें महिलाओं के लिए आवंटन कम से कम 30% हो। लेकिन, अगर हम भाग ए और बी की योजनाओं में विशेष रूप से दलित और आदिवासी महिलाओं के लिए किए गए आवंटन को देखें तो स्थिति बहुत निराशाजनक है। भाग ए में दलित महिलाओं के लिए आवंटन 10031.85 करोड़ रुपये है और आदिवासी महिलाओं के लिए 2997.90 करोड़ रुपये है और भाग बी में दलित महिलाओं के लिए आवंटन 9018.39 करोड़ रुपये है और आदिवासी महिलाओं के लिए 1839.35 करोड़ रुपये है।

छात्रवृत्ति की भारी मांग को देखते हुए, विशेषकर लड़कियों के लिए, मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति योजना के लिए बजट बहुत अपर्याप्त है। अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति योजना के लिए आवंटन 1904.99 करोड़ रुपये है जबकि एसटी लड़कियों के लिए 30.63 करोड़ रुपये है। इस वर्ष सामान्य योजनाओं के आवंटन में बड़े स्तर पर वृद्धि की गई है। उदाहरण के तौर पर, 'समग्र शिक्षा' योजना के लिए आवंटन 625.40 करोड़ रुपये है और 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के लिए 4872.48 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। समग्र शिक्षा योजना स्कूली शिक्षा के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके दायरे में प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक आती है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 भी एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत छह सेवाओं का पैकेज दिया जाता है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीधे लाभ वाली योजनाओं के आवंटन में गिरावट देखी गई है। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए 56.40 करोड़ रुपये का बहुत कम आवंटन किया गया है। एससी छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना के लिए केवल 28.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

इन समुदायों की महिलाओं को अपनी जाति और लिंग पहचान की वजह से भेदभाव और हिंसा के खतरे का कहीं ज़्यादा सामना करना पड़ता है।

तालिका-6: वित्त वर्ष 2024-25 के जेंडर बजट में एससी और एसटी महिलाओं के लिए आवंटन (करोड़ रुपये में)

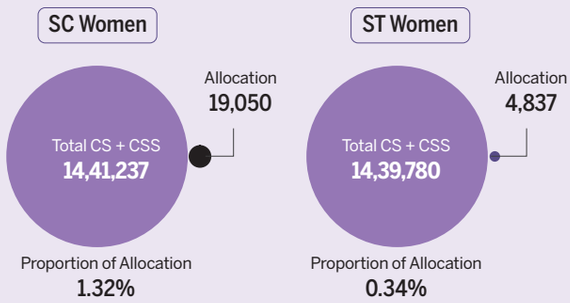

Source: Gov of India - Budget Expenditure Profile 2024-25 Statement 13

एनसीआरबी 2019 के आंकड़े दर्शाते हैं कि 2014-19 के दौरान एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामलों में से 15.11% मामले दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हुए अत्याचार के मामले थे। दलित महिलाओं और लड़कियों पर होने वाले इन अत्याचारों के दर्ज किए गए मामलों की संख्या पिछले छह सालों के दौरान 46% बढ़ी है।[17] एससी और एसटी महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बावजूद न्याय सुनिश्चित करने से जुड़े कार्यक्रमों के लिए सिर्फ 180 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं। इससे जुड़ी सिर्फ एक ही योजना है जिसे 'अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रवर्तन के लिए प्रणाली का सशक्तिकरण' कहा जाता है, जिसके तहत जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रमों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और निवारण प्रणाली पर कम। इस साल इस योजना के आवंटन में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।

इसके साथ, बजट में लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों (ट्रांस व्यक्ति और अन्य एलजीबीटीक्यूआई+) के लिए भी कोई आवंटन नहीं किया गया। इस बजट में उनकी पूरी तरह से अनदेखी की गई है, और जाति तथा लैंगिकता के अंतर्संबंधों वाले मुद्दों को भी नज़अंदाज़ किया गया है। 'आजीविका और उद्यमों के लिए हाशिए के व्यक्तियों को समर्थन' नाम की योजना के तहत सिर्फ 'भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास' घटक के लिए बजटीय आवंटन किया गया है और 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना' को कोई भी बजट नहीं दिया गया है। विकास की यह अवधारणा, समावेशी विकास के लिए पुनर्वितरण कर पाने में योजना प्रक्रिया की नाकामी दर्शाती है।

11. भूमि अधिकार

लंबे समय से चली आ रही जाति व्यवस्था और इससे जुड़ी छुआछूत की प्रथा का एक परिणाम भारत में दलितों की व्यापक स्तर पर भूमिहीनता रही है।

17 http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2021/04/Dalit-Women-Rise-For-Justice-Status-Report-2021.pdf

तालिका 7a: वित्त वर्ष 2024-25 (बजट अनुमान) के डीएपीएससी बजट के तहत विभाग-वार देय और आवंटित राशि (करोड़ रुपये में)

Departments	Total Eligible Ministries (CS+CSS)	% of Proposed Allocation	Due Allocation under SC (Rs Cr)	Allocation under SC Budget (Rs Cr)
Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare	1,16,222	16.60	19,293	**19,487**
Agricultural Research and Education	2,780	8.30	231	**231**
AYUSH	1,577	14.00	221	**133**
Fertilisers	1,64,103	8.30	13,621	**14,362**
Pharmaceuticals	4,049	8.30	336	**44**
Coal	114	8.30	9	**70**
Commerce	3,123	8.30	259	**14**
Telecommunications	4,314	8.30	358	**1,585**
Consumer Affairs	169	8.30	14	**2**
Food and Public Distribution	2,12,826	8.30	17,665	**18,743**
Culture	520	8.30	43	**43**
Development of North Eastern Region	5,866	8.30	487	**490**
School Education and Literacy	57,804	21.74	12,567	**13,478**
Higher Education	7,488	16.60	1,243	**4,181**
Electronics and Information Technology	17,320	8.30	1,438	**1,438**
Environment, Forests and Climate Change	1,788	8.30	148	**167**
Fisheries	2,382	16.60	395	**395**
Animal Husbandry and Dairying	4,275	16.60	710	**715**
Food Processing Industries	3,053	8.30	253	**133**
Health and Family Welfare	56,653	16.60	9,404	**9,404**
Housing and Urban Affairs	73,507	22.50	16,539	**3,818**
WR, RD,GD	19,710	8.30	1,636	**0**
Drinking Water and Sanitation	77,355	22.00	17,018	**16,791**
Labour and Employment	11,706	16.60	1,943	**1,945**
MSME	21,868	16.60	3,630	**3,755**
Mines	0	8.30	0	**23**
New and Renewable Energy	12,603	8.30	1,046	**1,018**
Panchayati Raj	1,134	16.60	188	**188**
Petroleum and Natural Gas	29,483	8.30	2,447	**979**
Power	16,362	16.60	2,716	**2,453**
Road Transport and Highways	2,77,830	8.30	23,060	**0**
Rural Development	1,77,352	25.00	44,338	**32,622**
Land Resources	2,642	16.60	439	**23**
Science and Technology	2,819	8.30	234	**234**
Skill Development and Entrepreneurship	3,121	16.60	518	**463**
Social Justice and Empowerment	12,796	72.50	9,277	**10,343**
Empowerment of Persons with Disabilities	758	20.25	153	**126**
Textiles	3,866	16.60	642	**260**
Tourism	2,349	8.30	195	**0**
Women and Child Development	25,848	20.00	5,170	**5,170**
Youth Affairs and Sports	1,705	25.28	431	**268**
Ministry of Cooperation	0	0.00	0	**0**
Chandigarh	0	0.00	0	**3**
TOTAL	14,41,237		2,10,315	**1,65,598**

As per the Norms set by Jadhav commission		**16.60%**		**2,39,245**
As per the NITI Aayog		**14.59%**		**2,10,315**
BE allocation				**1,65,598**

Source: 1. https://e-utthaan.gov.in/public/pdf/data/Guidelines-Earmarking_DAPSC_DAPST.pdf, published by NITI Aayog, 01 Apr 2018
2. Source:Statement-3, FY 24-25 Expenditure of Ministries and Departments,Govt of India

तालिका 7b: वित्त वर्ष 2024-25 (बजट अनुमान) के डीएपीएससी बजट के तहत विभाग-वार देय और आवंटित राशि (करोड़ रुपये में)

Departments	Total Eligible Ministries (CS+CSS)	% of Proposed Allocation	Due Allocation under SC (Rs Cr)	Allocation under SC Budget (Rs Cr)
Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare	1,16,222	8.60	9,995	**10,976**
Agricultural Research and Education	2,780	4.30	120	**120**
Ministry of AYUSH	1,577	4.30	68	**81**
Department of Fertilisers	1,64,103	4.30	7,056	**7,700**
Department of Pharmaceuticals	4,049	4.30	174	**23**
Ministry of Coal	114	8.60	10	**73**
Department of Commerce	3,123	4.30	134	**24**
Department of Telecommunications	4,314	4.30	186	**604**
Department of Consumer Affairs	169	4.30	7	**1**
Department of Food and Public Distribution	2,12,826	4.30	9,151	**10,170**
Ministry of Culture	520	4.30	22	**22**
Ministry of Development of North Eastern Region	5,866	27.18	1,594	**1,700**
Department of School Education and Literacy	57,804	12.47	7,208	**7,289**
Department of Higher Education	7,488	8.60	644	**2,126**
Ministry of Electronics and Information Technology	17,320	6.70	1,160	**1,160**
Ministry of Environment, Forests and Climate Change	1,788	8.60	154	**174**
Department of Fisharies	2,382	8.60	205	**215**
Department of Animal Husbandry and Dairying	4,275	8.60	368	**377**
Ministry of Food Processing Industries	3,053	4.30	131	**69**
Department of Health and Family Welfare	56,653	8.60	4,872	**4,872**
Ministry of Housing and Urban Affairs	73,507	4.30	3,161	**1,407**
Dept Water Resources, River Development, Ganga Rejuvenation	19,710	8.60	1,695	**359**
Department of Drinking Water and Sanitation	77,355	10.00	7,735	**7,632**
Ministry of Labour and Employment	11,706	8.60	1,007	**1,007**
MSME	21,868	8.60	1,881	**1,998**
Ministry of Mines	0	4.30	0	**12**
Ministry of New and Renewable Energy	12,603	8.60	1,084	**1,059**
Ministry of Panchayati Raj	1,134	8.60	97	**98**
Ministry of Petroleum and Natural Gas	29,483	4.30	1,268	**507**
Ministry of Power	16,362	8.60	1,407	**1,247**
Ministry of Road Transport and Highways	2,77,830	4.30	11,947	**16,300**
Department of Rural Development	1,77,352	17.50	31,037	**23,742**
Department of Land Resources	2,642	10.00	264	**14**
Department of Science and Technology	2,819	4.30	121	**121**
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	3,121	8.60	268	**240**
Department of Empowerment of Persons with Disabilities	758	10.17	77	**65**
Ministry of Textiles	3,866	8.60	332	**195**
Ministry of Tourism	2,349	4.30	101	**101**
Ministry of Tribal Affairs	11,338	100.00	11,338	**12,938**
Ministry of Women and Child Development	25,848	8.60	2,223	**2,380**
Ministry of Youth Affairs and Sports	1,705	8.60	147	**146**
Andaman and Nicobar Islands	0	0.00	0	**224**
Dadre Nagar Haveli & Daman Diu	0	0.00	0	**1**
Lakshadweep	0	0.00	0	**1,451**
Ministry of Cooperation	0	0.00	0	**0**
TOTAL	14,39,780	9.98%	1,20,451	**1,21,023**
As per the Norms set by Jadhav commission		**8.60%**		**1,23,821**
As per the NITI Aayog		**8.40%**		**1,20,451**
BE allocation				**1,21,023**

Source: 1. https://e-utthaan.gov.in/public/pdf/data/Guidelines-Earmarking_DAPSC_DAPST.pdf, published by NITI Aayog, 01 Apr 2018
2. Source:Statement-3, FY 2023-24 Expenditure of Ministries and Departments,Govt of India

सभी सामाजिक-आर्थिक वर्गों में से दलितों के पास उनकी ग्रामीण आबादी की तुलना में देश में सबसे कम कृषि भूमि है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण कार्यालय के सर्वेक्षण (66वें दौर) के अनुसार, पूरे भारत में अनुसूचित जाति (एससी) के ग्रामीण परिवारों में "कृषि में स्वरोजगार" पर निर्भर परिवारों का, यानी ऐसे परिवार जिनके पास अपनी खुद की ज़मीनें हैं, उनका अनुपात केवल 17.1% है। सामाजिक रूप से अगड़े वर्ग, या जो एससी, एसटी या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों से नहीं हैं, उनके ग्रामीण परिवारों के लिए यह अनुपात 39.4% है।[18] अधिकांश दलितों के पास पहले कभी ज़मीन नहीं रही है। वे जमीन की तलाश में एक इलाके से दूसरे इलाके घूमते रहे। जिन दलितों के पास ज़मीन नहीं थी, उन्होंने बेहतर मजदूरी पाने, ज़मीन का मालिक बनने और बेगार बंद कराने के लिए किसानों से संघर्ष किया। हालांकि भूमि सुधार कानूनों के ज़रिए जमींदारी वर्ग का अंत तो हुआ, लेकिन भूमि स्वामित्व के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए असमानता बनी रही। निचली जातियों के बीच भूमि के पुनर्वितरण के दौरान, ज़मीनें जाति समुदाय के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, परिवार या समूह को ही हासिल हो पाई। परिणामस्वरूप, थोड़ी बहुत प्रगति को छोड़कर, गरीब से भी गरीब लोगों की स्थिति में लंबे समय तक कोई बदलाव नहीं आया है।[19]

बढ़ते शहरीकरण की वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभावों की वजह से भी भूमि के स्वामित्व में गैर-बराबरी दूर करने की प्रक्रिया को धक्का पहुंचा है। सरकारी संस्थाओं और जानकारी तक बेहतर पहुंच के बलबूते जातिगत जमींदार अवैध सौदे के लिए अनुमति हासिल करने में कामयाब रहे हैं। राजनीति की भूमिका भी महत्वपूर्ण है; इसे अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए, रिश्ते बनाने से लेकर गैरकानूनी लेआउट बनाने तक, लगभग हर चीज में देखा जा सकता है। बहरहाल, भूमि अधिग्रहण की "केंद्रीय धुरी" जाति ही है।[20] दलितों के सामने मौजूद लगभग सभी समस्याओं का कारण उनके पास जमीन नहीं होना है। दलितों के लिए ज़मीन सम्मान का आधार और प्रतिरोध का प्रतीक है। जाति की भूमिका सिर्फ सामाजिक अन्यायों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे पैसे और संपत्ति के संचय के सामाजिक ढांचे के रूप में देखा जाना चाहिए।[21] 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार, कुल कृषि भूमि का केवल 9% हिस्सा ही दलितों के पास है। कृषि जनगणना के आंकड़े हमें बताते हैं कि अनुसूचित जातियों के स्वामित्व वाली सीमांत जोत वाली भूमि का कुल रकबा 2010-11 में 13247 हेक्टेयर था और 2015-16 में 13559 हेक्टेयर था। अनुसूचित जनजाति के लिए सीमांत जोत की भूमि का कुल रकबा 2010-11 में 6470 हेक्टेयर और 2015-16 में 7127 हेक्टेयर था।[22]

कृषि ऋण माफी कार्यक्रमों के तहत सरकार कर्जे का भुगतान करने में किसानों की मदद करती है। लेकिन 2014 से मार्च 2022 तक जिन लोगों को इन कार्यक्रमों से लाभ मिलना था, उनमें से केवल आधे लोगों का ही कर्ज माफ हुआ है।[23]

आदिवासियों के मामले में, भूमि हस्तांतरण विनियमन के अनुसार, केवल आदिवासी ही आदिवासियों की भूमि हासिल कर सकते हैं, जिसमें सरकार के स्वामित्व वाली वन भूमि भी शामिल है। लेकिन सच्चाई यह है कि आदिवासियों को अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि उनके पास इस बात के सबूत नहीं है कि जिन ज़मीनों पर उनके परिवार कई पीढ़ियों से रह रहे हैं उन ज़मीनों वे मालिक हैं।[24]

इस वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि और किसान कल्याण विभाग को कुल 30462.79 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिसमें से 19486.51 करोड़ रुपये एससी के लिए और 10976.28 करोड़ रुपये एसटी के लिए आवंटित किए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में, विभाग के तहत एससी और एसटी के लिए किए गए बजटीय आवंटन में 1757.15 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। सबसे अधिक बढ़ोतरी एसटी बजट में की गई है जो कि 1165.23 करोड़ रुपये है लेकिन एससी बजट को 591.92 करोड़ रुपये से घटाया गया है।

12. युवा और बेरोज़गारी

भारत के अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं की बेरोज़गारी के कुचक्र को तोड़ना

2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में एससी समुदायों के युवाओं (18-35 वर्ष की उम्र वाले) की संख्या 6,31,27,692 थी और एसटी समुदायों में 3,13,76,446 थी। और इन युवाओं को, और विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने से रोकने वाला प्रमुख कारण है: बेरोज़गारी। आज के युवा दोहरे स्तर पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं- रोज़गार बाजार में भागीदारी की निचली दर (कम संख्या में युवा काम की तलाश कर रहे हैं) और आसमान छूती बेरोज़गारी (अक्टूबर 2023 में, 15-24 उम्र के युवाओं के लिए 10.09%)। एससी और एसटी समुदायों की जनसंख्या में युवाओं का अनुपात क्रमशः 35% और 23.8% है। एनएसएस-पीएलएफ रोज़गार सर्वेक्षण साफतौर पर दर्शाता है कि बेरोज़गारी दर एससी युवाओं (6.4%) और एसटी युवाओं (4.3%) में कहीं ज़्यादा थी।

रोज़गार के अवसरों के अभाव का कुचक्र हाशिए के परिवारों को पीढ़ियों तक आर्थिक असुरक्षा के बंधन में बांधे रखता है। असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय

18 https://frontline.thehindu.com/social-issues/social-justice/the-importance-of-giving-land-to-dalits/article29268726.ece

19 https://www.impriindia.com/event-report/land-labour-and-dalits/

20 https://www.deccanherald.com/india/karnataka/bengaluru/deprived-castes-pushed-out-in-race-to-grab-land-in-peri-urban-areas-study-1013327.html

21 उपाध्या, सी., और राठोड, एस. (2021). कास्ट एट दी सिटी'स एड्ज: लैंड स्ट्रगल्स इन पेरी-अर्बन बेंगलुरू, साउत एशिया मल्टिडिसिप्लिनरी अकॅडेमिक जर्नल, (26).

22 https://agcensus.nic.in/document/agcen1516/T1_ac_2015_16.pdf

23 स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का सर्वेक्षण, 2022

24 https://www.ijlmh.com/wp-content/uploads/A-Study-of-the-Land-Rights-of-Adivasis-in-India.pdf

डेटाबेस के अनुसार, पंजीकरण करने वाले श्रमिकों में से 74% से अधिक, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से आते हैं और उनकी मासिक आय 10,000 रुपये प्रति महीने से कम है। अनौपचारिक श्रमिकों का, यानि जिन्हें कोई रोज़गार सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, उनका कुल श्रमिकों में अनुपात एससी के लिए 84% है और एसटी के लिए 70%। कॉलेज से निकलने वाले एससी/एसटी युवाओं में बेरोज़गारी हाई स्कूल से निकलने वाले युवाओं की बेरोज़गारी से दोगुनी है। श्रम और रोज़गार मंत्रालय के तहत आवंटित की गई राशि में से एससी बजट से 1906.24 करोड़ रुपये और एसटी बजट से 989.7 करोड़ रुपये ऐसी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किए गए हैं जिनका कोई भी लाभ इन समुदायों को नहीं होता है। श्रम और रोज़गार मंत्रालय के तहत 12531.47 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से 1945.12 करोड़ रुपये एससी के लिए और 1007.38 करोड़ रुपये एसटी के लिए आवंटित किए गए हैं।

वर्ष 2017-21 के दौरान एससी युवाओं के लिए लागू की गई कुछ प्रमुख योजनाएं:

1. आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना के लिए आवंटन 522.9 करोड़ रुपये था और कुल 568.3 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया

2. रोजगार निर्माण कार्यक्रम: प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए आवंटन 1745.5 करोड़ रुपये था और इसमें से 1633.2 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया

3. कौशल विकास योजना के लिए आवंटन 2157.1 करोड़ रुपये था और इसमें से 1710.4 करोड़ रुपये का उपयोग हुआ

वर्ष 2017-21 के दौरान एसटी युवाओं के लिए लागू की गई कुछ प्रमुख योजनाएं:

1. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना: आवंटन 270.9 करोड़ रुपये था और 317.1 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया

2. रोजगार निर्माण कार्यक्रम: प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए आवंटन 901.7 करोड़ रुपये था और इसमें से 792.8 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया

3. कौशल विकास योजना के लिए आवंटन 1105.9 करोड़ रुपये था, जिसमें से 876.5 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया

महामारी के बाद आने वाले जिस आर्थिक उछाल के बारे में सभी उत्साहित थे, उसका क्या? एक महत्वपूर्ण समूह इस प्रक्रिया से बाहर रहे: दलित और आदिवासी समुदायों के शिक्षित युवा। जाति-व्यवस्था के प्रभाव आज भी समाज में अपना असर दिखा रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के स्वामित्व वाले व्यवसायों में आमतौर पर 20 से कम कर्मचारी होते हैं, जबकि अन्य जातियों से आने वाले व्यक्तियों ने बड़े-बड़े साम्राज्य खड़े कर लिए हैं। और एससी/एसटी समुदाय की महिलाएं अन्य जातियों की महिलाओं के मुकाबले उसी काम के लिए कम वेतन कमाती हैं।

13. न्याय तक पहुंच

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के खिलाफ उनकी जाति पहचान के आधार पर अत्याचार और भेदभाव की घटनाएं, समुदाय को दबाने के सदियों पुराने इतिहास का हिस्सा है जिसका उद्देश्य, **भारतीय संविधान के सकारात्मक प्रावधानों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 और संशोधन अधिनियम, 2015 और 2018, और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955** जैसे कड़े कानूनों में छुपी प्रगति और विकास की संभावनाओं में बाधा डालना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2021 तक इन समुदायों के खिलाफ जाति-प्रेरित अत्याचार की घटनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। सबसे हाल के आंकड़े वर्ष 2021 तक उपलब्ध हैं। वर्ष 2019 (45935) में, 2018 (42793) की तुलना में अनुसूचित जाति के खिलाफ घटनाओं की संख्या में 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई, 2019 की तुलना में 2020 (50291) में 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई और 2020 की तुलना में वर्ष 2021 (50900) में 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह, अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध में भी वृद्धि दर्ज की गई है: 2018 (6528) की तुलना में 2019 (8257) में 26.4% की वृद्धि हुई; 2019 की तुलना में 2020 (8272) में घटनाओं में 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई; 2020 की तुलना में 2021 में (8802), 6.4% अधिक अत्याचार के मामले दर्ज किए गए।

2019 में आईपीसी के साथ अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत, मामलों में सजा दिए जाने की दर एससी के लिए 32.1% और एसटी के लिए 26.4% रही, और 2020 में एससी के लिए 42.4% और एसटी के लिए 28.5% दर्ज की गई। वर्ष 2021 में एससी के लिए यह दर गिर कर 36% हो गई और और एसटी के लिए 28.1% थी। दोषमुक्ति (बरी करने के साथ-साथ जहां आरोपी को सुनवाई से पहले आरोपों से मुक्त कर दिया गया हो) की दर, अनुसूचित जाति के लिए वर्ष 2019 (57.5%) की तुलना में 2020 में (67.9%) ज़्यादा थी, और एसटी के लिए भी, वर्ष 2019 (71.5%) की तुलना में वर्ष 2020 में (73.6%) इसी तरह की वृद्धि देखी गई। 2021 में एससी और एसटी विशेष अदालतों में अलग-अलग स्तर पर लंबित मुकदमों की दर पर गौर करना भी ज़रूरी है, जो क्रमशः 96% और 95.4% है।

वर्ष 2019 में अनुसूचित जाति के खिलाफ दर्ज की गई कुल घटनाओं में से, अनुसूचित जाति की महिलाओं के खिलाफ हुई घटनाओं के मामले कुल मिलाकर 15% थे (6985 मामले, जिनमें बलात्कार, बलात्कार का प्रयास और महिलाओं की लज्जा भंग करने के लिए उन पर हमला शामिल है), जबकि एसटी महिलाओं के लिए यह अनुपात, भारत में एसटी समुदायों के खिलाफ हुई घटनाओं के दर्ज किए गए कुल मामलों का 24.3% (8257 मामले) था।

वर्ष 2020 में, भारत में एससी आबादी के खिलाफ हुई कुल घटनाओं में दर्ज किए गए मामलों में से एससी महिलाओं के खिलाफ हुई घटनाओं के मामलों

का अनुपात 12.6% (6835 मामले) था, और एसटी महिलाओं के लिए, यह 24.7% (2047 घटनाएं) था। इनमें बलात्कार, बलात्कार का प्रयास और महिलाओं की लज्जा भंग करने के लिए उन पर हमला करने जैसी घटनाएं शामिल हैं। वर्ष 2021 के लिए, इन अपराधों का एससी और एसटी महिलाओं के लिए अनुपात 16.8% (8570 मामले) और 26.8% (2364 मामले) था।

"नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955" और "अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989" के प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने के बजट को राज्यों को आवंटित करने की बात कही गई है। इसका उपयोग अनिवार्य रूप से न केवल जातिगत अत्याचारों के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए, बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जातिगत हिंसा की घटनाओं को रोकने के तंत्र को मजबूत करने के लिए भी किया जाना चाहिए। लेकिन वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में इसके लिए आवंटन 600 करोड़ रुपये से घटाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया; 2021-22 में भी यह 600 करोड़ रुपये था।

तकनीकी रूप से, यदि एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2016 के नियम 12(4) के तहत एससी या एसटी समुदायों से आने वाली बलात्कार पीड़ितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का हिसाब लगाया जाए तो: वर्ष 2021 में एससी और एसटी के खिलाफ हुई घटनाओं के मामलों की कुल संख्या 59702 है (एनसीआरबी 2021 के अनुसार एससी के खिलाफ 50900 मामले और एसटी के खिलाफ 8802 मामले) और हम औसतन 5 लेकर चलें तो अनुमानित राशि 440 करोड़ हो जाती है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जातिगत हिंसा का शिकार होने वाले लोगों की मदद करने और पीओए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन घटनाओं को रोकने के लिए राज्य-स्तरीय तंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिक बजटीय आवंटन की आवश्यकता है।

इसके अलावा, घटनाओं में वृद्धि, सजा दिए जाने की निचली दर और बड़ी संख्या में मामलों का लंबित होना, अधिनियम के प्रावधानों का कमज़ोर कार्यान्वयन दर्शाता है। इन प्रावधानों में त्वरित सुनवाई के लिए विशेष/विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना और पीड़ितों को आर्थिक मुआवज़ा और पुनर्वास दिए जाने का प्रावधान शामिल है। इसलिए, हम जातिगत अत्याचारों को रोकने के तंत्र को मजबूत करने के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन और इसके प्रभावी इस्तेमाल की सिफारिश करते हैं।

वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक की दस वर्षों की अवधी के दौरान बजट उपयोग का रुझान दर्शाता है कि बजट उपयोग (वास्तविक खर्च) लगातार साल-दर-साल बढ़ रहा है और हर साल बजट आवंटन से अधिक रहा है। यह दर्शाता है कि आवंटित बजट भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त है। इसलिए, इस योजना के आवंटन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जातिगत हिंसा के शिकार होने वालों को आर्थिक सहायता, विशेष/विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना और निगरानी समितियों की नियमित बैठकों के लिए अलग-अलग बजट तय किए जाने की भी हम पुरज़ोर सिफारिश करना चाहेंगे।

14. विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाएं

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में विकलांग व्यक्तियों की कुल जनसंख्या 2.6 करोड़ (2.21%) है, जिसमें एससी विकलांग 2.45% और एसटी विकलांग 2.05% हैं। यदि हम विकलांग व्यक्तियों की स्थिति का जाति-वार विश्लेषण करें, तो यह पता चलता है कि एससी और एसटी विकलांग व्यक्तियों में से क्रमशः 89.1% और 89.8% व्यक्तियों को जानकारी की कमी या आर्थिक संसाधनों के अभाव की वजह से आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है।

वर्ष 2017-21 के दौरान विकलांग व्यक्तियों के लिए लागू की गई कुछ प्रमुख योजनाएं:

1. विकलांग व्यक्ति अधिनियम को लागू करने के लिए बजटीय आवंटन 246.3 करोड़ रुपये था, जिसमें से 96.2 करोड़ रुपये इस्तेमाल किए गए

2. सहायक उपकरणों और मशीनों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता योजना के लिए आवंटन 219.8 करोड़ रुपये, जिसमें से 207.0 करोड़ रुपये इस्तेमाल किए गए

3. विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवंटन 60.6 करोड़ रुपये था, और 94.0 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया

वर्ष 2017-21 के दौरान विकलांग व्यक्तियों के लिए लागू की गई कुछ प्रमुख योजनाएं:

1. विकलांग व्यक्ति अधिनियम को लागू करने के लिए बजटीय आवंटन 114.2 करोड़ रुपये था, जिसमें से 46.7 करोड़ रुपये इस्तेमाल किए गए

2. सहायक उपकरणों और मशीनों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता योजना के लिए आवंटन 114.2 करोड़ रुपये, और 116.8 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया

3. विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवंटन 30.7 करोड़ रुपये था, और 33.0 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया

केंद्रीय बजट 2024-25 में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत एससी के लिए आवंटन 125.82 करोड़ रुपये और एसटी के लिए 65.18 करोड़ रुपये है। अनुसूचित जाति के विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए 23.68 करोड़ रुपये और एसटी विकलांग छात्रों के लिए 12.27 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सहायक उपकरणों और मशीनों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता योजना के तहत, एससी के लिए 52.29 करोड़ रुपये और एसटी के लिए 27.09 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के तहत, एससी के लिए 27.39 करोड़ रुपये और एसटी के लिए 14.19 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

तालिका-10: अंतर कैसे दूर किया जाए- सुझाई गई योजनाएं (लोक बजट) (करोड़ रुपये में)

	SC Schemes (Rs. Cr.)	ST Schemes (Rs. Cr.)
Higher Education		
Higher Education		
Paramedical and nursing colleges for SC/ST girls	4,000	2,000
Top Class Residential Coaching for SC Students	500	0
Boys Hostels in every district headquarters - 640	3,000	1,500
Girls hostels in every district head-quarters - 640+B41	4,000	2,500
Remedial coaching in english language	200	100
B.R Ambedkar Universities in 10 states - Punjab, Bengal, U.P, Bihar, Andhra, Tamil Nadu, M.P, Gujarat, Rajasthan, Telangana	15,000	0
Agri Coop		
Minor irrigation programme for SC/ST farmlands	500	100
Sustainable Agriculture Grants for SC/ST Farmers	250	100
Horticulture and sericulture scheme for SC/ST	250	200
Agriculture Research		
Agricultural Training Institute for SC/ST	3,000	600
AH D F		
District Level SC/ST Dairy Cooperatives Scheme	1,200	250
Livestock Development Fund for SC/ST Family	400	400
Small Scale Entrepreneurship Fund for Goat, Pig,Hen and Cow Breeding	2,500	600
DWS		
Community Well Regeneration Scheme in SC/ST Localities	400	300
Provision for Drinking Water for SC/ST families	1,000	700
Health Family Welf		
Modernization of Health Centres in SC/ST Areas	1,000	300
Paramedical and nursing colleges for SC/ST girls	6,000	600
Financial Medical Assistance for SC/ST Families	500	300
Superspeciality hospital for Malaria, TB, Hypertension, sickle cells, and other diseases in SC/ST Areas.	12,000	10,000
Health Contingency fund at Municipal level for SC/ST community	500	200
Housing		
Ambedkar Model Housing Scheme	12,000	0
Birsa Munda Model Housing Scheme	3,000	13,000
Housing Scheme in Disaster prone for SC/ST Families	6,000	3,000
Housing Loan on Subsidised Interest rate to SC/ST Man/Women	6,000	3,000
Savitri Bai Phule SC/ST Woman Housing Programme	4,000	2,500
Labour & Employment		
Rehabilitation and Protection of SC Child Labour	900	300
Top class coaching for competetive exams	300	200
Establishment of Employment Centre for SC/ST Labour	2,000	200
MSME		
Standtup Fund for Unemployed SC	2,500	0
SC/ST Innovation fund for employment generation activities	2,000	1,000
Cedit Support Program for SC/ST educated unemployed youth for Self Employmenmt	2,000	1,200
Special SC/ST Women Employment Fund	1,000	400
Market Development Programme for SC/ST Farmers Product	900	800
Rural Development		
Unemployment Allowance for SC/ST BPL Individual/Families	600	500
Restoration of Alienated land for STs	0	1,000

	SC Schemes (Rs. Cr.)	ST Schemes (Rs. Cr.)
School Education		
500 seated state of the art modern schools for SC/ST students	15,000	12,000
Inclusion Cells in Schools	200	120
Appointment of SC/ST Teachers in Rural Areas	12,000	10,000
Special Teacher Training Programme on Anti-Discrimination and Inclusion	500	400
High class hostels for SC/ST Students at district headquarters	15,000	12,000
Appointment of Permanent SC/ST Women Cooks	3,000	2,000
Special Nutritional Supplements	800	400
Skill Development		
Training Capacity Building and Entrepreneurship Development for SC/ST Youth	600	300
Social Justice		
Implementation of SC/ST POA Act	3,000	1,500
Finance Development Corporation for SC Woman	5,000	31
Insurance scheme for Criminally assulted SC/ST Woman	300	150
Scaling up NFSC to all SC PhD Students	700	300
Pre-Medical Coaching and Scholarship for SC/ST Students	300	150
Special fund for protection and empowerment of SC/ST Woman	500	150
Special Development funds for Nomadic, semi-nomadic and Vimuktajatis of SCs and STs.	300	500
Establishment of Centers in Universities for study of Social Exclusion and Inclusive Policy	5,000	5,000
Special Fast Track Court for Speedy Trail of SC/ST Cases	6,000	4,000
SC & ST fellowship for non-NET research students	700	500
Compensation to Victims	2,000	1,000
B.R Ambedkar Centres for learning and libraries in SC ST dominated districts	2,000	500
Rehabilitation of Women Ex. Manual Scavengers	3,000	0
Formation of Special POCSO Courts to Trail SC/ST Cases	5,000	4,000
Overseas Scholarship for SC/ST Woman	3,000	1,500
National Single Window Helpline for SC/ST Students	1,000	200
Fellowships for SC- ST students under exchange programmes to foreign universities	1,500	500
Establisment of SC - ST Research institutes	3,000	1,500
Tribal Affairs		
Innovation fund for Tribal Cooperatives and Tribal Entrepreneurship	50	500
Special fund for FRA Implementation	100	400
Special fund for implementation of PESA in Schedule Areas	265	1,000
Special Mission for Development of Minor Forest Produce	300	100
Model Schools for SC/ST Girls	6,000	2,500
Schools of international Standard at State Level for SC/ST Students	5,000	3,000
Special Development Fund for most Vulnerable Tribal Groups	200	400
Women Child		
Establishment of Mini health centres in SC/ST Habitants	1,000	500
Financial Medical Assistance for SC/ST Women	300	250
Special Child Protection Mission for SC/ST Children	600	300
Targeted Health Coverage for Migrants SC/ST Children	400	250
Appointment of SC/ST Caretakers	200	150
Rehabilitation of Trafficked SC/ST Women	500	150

Continued ...

तालिका-10: अंतर कैसे दूर किया जाए- सुझाई गई योजनाएं (लोक बजट) (करोड़ रुपये में)

	SC Schemes (Rs. Cr.)	ST Schemes (Rs. Cr.)
WR RD GR		
Canal Construction Programme for SC/ST farmland	3,000	2,000
Water Catchment Area Development Programme for SC/ST	300	150
Youth Sports		
Special Sports program for SC/ST youths under Khelo India	3,000	2,000
Overseas Training for SC/ST Sports Persons	300	250
Grand Total	**2,10,315**	**1,20,451**

NOTE:- 1. In the Union Budget FY2024-25 with reference to Fig -1 Total Targeted Schemes for SCs is Rs 44,281.5 Cr. and STs Rs. 36,212.2 Cr. with the total gap of SC allocation is Rs. 1,66,033 Cr. and Rs. 84,238 Cr. for STs. The above table details of suggested schemes are for closing the Gap in the allocation.

विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ प्रमुख योजनाएं:

शुरुआती वर्ष: 'दिशा' योजना थेरेपी और देखभाल के ज़रिए छोटे बच्चों के लिए शुरूआती स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जबकि 'विकास' योजना बड़ी उम्र के युवाओं के लिए सामाजिक और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है।

रहने के विकल्प: 'समर्थ' योजना परिवारों और कमजोर व्यक्तियों को देखभाल के स्तर पर कुछ राहत देती है, जबकि 'घरौंदा' योजना विशेष विकलांगता वाले वयस्कों के लिए एक स्थायी आवासीय व्यवस्था प्रदान करती है।

स्वास्थ्य और सहायता: 'निरामय' योजना स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है; 'सहयोगी' योजना देखभाल करने वालों को प्रशिक्षित करती है; और 'ज्ञान प्रभा' योजना शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में मदद करती है।

मार्केटिंग और सशक्तिकरण: 'प्रेरणा' योजना विकलांग व्यक्तियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने में मदद करती है, और 'संभव' योजना सहायक उपकरणों के बारे में जानकारी और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

जागरूकता और समावेश: 'बढ़ते कदम' योजना विकलांग व्यक्तियों के बारे सामुदायिक जागरूकता और उनके सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देती है।

15. जलवायु परिवर्तन से समावेशी रूप से निपटने के लिए एससी और एसटी समुदायों को लक्षित कार्यक्रम, बजट और स्मार्ट सूचकांकों में उनका उचित हिस्सा देना ज़रूरी है

दुनिया, और विशेष रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र, जिसमें भारत भी शामिल है, लगातार जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसके कारण निजी और सार्वजनिक, दोनों तरह के जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान होता है। इसलिए, जलवायु संकट और आपदाओं को घटाने वाला विकास का मॉडल, सतत विकास के लिए बुनियादी ज़रुरत है। इन चुनौतियों ने पिछले कुछ दशकों में और विकराल रूप ले लिया है, जैसा कि आईपीसीसी की रिपोर्ट से पता चलता है। जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाले संकट को कृषि और संबंधित क्षेत्रों को, प्राकृतिक संसाधन-आधारित आजीविका को, भोजन की उपलब्धता, पानी और स्वच्छता, शारीरिक सुरक्षा और लोगों की सामाजिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इन सभी में, सबसे असुरक्षित हैं अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय जो इन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं और संसाधन-संपन्न लेकिन जोखिम-भरे, निचले भौगोलिक इलाकों में रहते हैं और जिनके पास सूखे, बाढ़, चक्रवात, जंगल की आग, लू जैसी आपदाओं के प्रभावों से निपटने के साधन नहीं हैं। भूमिहीनता और संसाधनों की कमी की वजह से वे असंगठित क्षेत्र के रोज़गार और खेत मज़दूरी पर निर्भर रहते हैं। वे इन जलवायु परिवर्तनों की वजह से होने वाले नुकसानों के बोझा का बाकी के मुकाबले कहीं ज़्यादा सामना करते हैं, जिसकी वजह से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाने की उनकी क्षमता सीमित होती है।

नीति आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, एससी और एसटी के कल्याण के लिए किए गए बजट आवंटन, जनसंख्या में उनके अनुपात पर आधारित होने चाहिए।[25] कुल मिलाकर, ये समुदाय भारत की एक अरब से अधिक की आबादी का एक-चौथाई हिस्सा है। फिर भी, संवैधानिक और नीति निर्देशों के बावजूद, इनके लिए आरक्षित संसाधन पर्याप्त, प्रासंगिक और उचित रूप में उन तक नहीं पहुँच पाए हैं जिसके कारण वे विकास की दिशा में आगे बढ़ पाने और जलवायु परिवर्तन और आपदाओं से निपट पाने की स्थिति में नहीं हैं।

हालांकि जलवायु कार्यक्रमों के संचालन की ज़िम्मेदारी नोडल मंत्रालय के तौर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सौंपी गई है, लेकिन कई अन्य मंत्रालय/विभाग भी जलवायु-संबंधित कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। इसलिए, नीति आयोग द्वारा एससी और एसटी समुदायों के लिए बजट आरक्षित करने के लिए 'बाध्य' माने गए चालीस मंत्रालयों और विभागों में से, जलवायु कार्यक्रमों को लागू करने वाले मंत्रालय भी आते हैं। लेकिन, क्योंकि बजट प्रक्रिया के तहत जलवायु बजट स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं किया जाता है इसलिए यह जानना बहुत मुश्किल कि मौजूदा कार्यक्रमों के ज़रिए सरकार के बजट का कितना हिस्सा जलवायु के लिए आवंटित किया गया है। इसके चलते, एससी और एसटी बजट में जलवायु कार्यक्रमों के लिए बजट का आरक्षण भी निरर्थक साबित हो जाता है।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन योजना के तहत आठ मंत्रालयों द्वारा संचालित जलवायु परिवर्तन से जुड़े आठ राष्ट्रीय मिशनों की रूपरेखा तैयार की गई है। हालांकि, जलवायु अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) से जुड़ी योजनाओं को अधिकांश मंत्रिस्तरीय कार्यक्रमों में शामिल किया गया है,

25 नीति आयोग द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2018 को जारी किए गए दिशानिर्देश जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के ई-उत्थान पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

लेकिन उन्हें जलवायु कार्यक्रमों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर, सामाजिक सुरक्षा योजना, मनरेगा जैसी आजीविका योजनाएं, एमएसएमई योजनाएं; आवास योजनाएं; कुछ कृषि योजनाएं; ग्रामीण विकास कार्यक्रम इत्यादि, जलवायु अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में योगदान तो देते हैं लेकिन उन्हें राष्ट्रीय योजना में शामिल नहीं किया गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण

अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि मंत्रालय के लिए 19486.51 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान से 3.13% की मामूली वृद्धि की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए उपलब्ध वास्तविक खर्च के आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि एससी आवंटन का काफी कम उपयोग किया गया है। इसके अलावा, एससी और एसटी योजनाओं के अंतर्गत किसी लक्षित लाभार्थियों के न होने के कारण, इस्तेमाल किए गए बजट को लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के साथ जोड़ना मुश्किल है।

हालांकि, ऐसी कई योजनाएं हैं जो जलवायु अनुकूलन और डीआरआर के नज़रिये से महत्व रखती हैं। *प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)* का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के खराब होने की स्थिति में किसानों को जोखिम से बचाने के लिए वित्तीय सहायता देना है। इस योजना के तहत, पिछले कुछ वर्षों में अनुसूचित जाति के लिए किए जाने वाले आवंटन में बहुत कम वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 और 2022-23 के दौरान योजना के तहत आवंटित बजट का काफी कम खर्च देखा गया है।

इसी तरह, एक अन्य लोकप्रिय केंद्रीय क्षेत्र की योजना, *प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि* (पीएम-किसान), एक महत्वपूर्ण लाभार्थी-आधारित योजना है जिसके तहत किसानों को 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाती है। छोटे किसानों और सीमांत किसानों को असमान रूप से प्रभावित करने वाले कृषि संकट को ध्यान में रखते हुए, यह एससी और एसटी किसानों को बहुत जरूरी सहायता प्रदान करती है। योजना के पोर्टल[26] पर लाभार्थियों के लिंग-वार आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन एससी-एसटी लाभार्थी डेटा उपलब्ध न कराए जाने की वजह से यह कह पाना मुश्किल है कि योजना के तहत एससी/एसटी बजट का उपयोग किस हद तक एससी/एसटी लाभार्थियों के लिए किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एससी के लिए 10,177 करोड़ रुपये और एसटी के लिए 1,255.6 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में काफी ज़्यादा है। यही नहीं, जहां एक तरफ एसटी बजट के तहत उपयोग की गई राशि, आवंटित राशि से पिछले कुछ वित्त वर्षों में लगातार ज़्यादा रही है, वहीं दूसरी तरफ एससी बजट के तहत आवंटित राशि का लगातार पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत शामिल कृषि योजनाएं खेती योग्य क्षेत्रों के विस्तार, प्राकृतिक खेती, उत्पादन में वृद्धि, किसानों के प्रशिक्षण आदि पर ध्यान केंद्रित करती हैं। जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से, यह योजनाएं अनुसूचित जाति-जनजाति के उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें अनियमित बारिश और मौसम के कारण लगातार सूखे और सूखे-जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। वित्त वर्ष 2024-25 में, इस योजना को एससी बजट के तहत 1181.93 करोड़ रुपये (बीई) आवंटित किए गए हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बजट में कटौती भी की गई है और पिछले सालों में इसके आवंटन का पूरा इस्तेमाल भी नहीं किया गया। विशेष रूप से एससी और एसटी लाभार्थी तय नहीं किए जाने की वजह से यह एक सामान्य योजना है।

पेयजल एवं स्वच्छता

जलवायु परिवर्तन के कारण, बारिश की मात्रा और समय को लेकर पैदा होने वाली अनिश्चितता के चलते पानी के सतही भंडारण में कमी आई है जिसकी वजह से वाणिज्यिक और घरेलू उपयोग के लिए इसका और अधिक दोहन हुआ है। प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर सूखे के दौरान, पानी को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत हिंसा की खबरें आम हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में *जल जीवन मिशन / राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन* के तहत एससी बजट के लिए 15,435.84 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले थोड़ा सा ही ज़्यादा है। इस योजना का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में चालू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी जल आपूर्ति ढांचे का निर्माण करना है, और इसपर मंत्रालय के बजट का 90% हिस्सा खर्च किया जा रहा है। फिर भी, उच्च बजट उपयोग के बावजूद, एससी-एसटी लक्ष्यों की कमी के कारण योजना के लाभार्थियों की संख्या का पता लगाना कठिन है। बजट के अधिक उपयोग के बावजूद, एससी-एसटी लक्ष्यों के न होने के कारण लाभार्थियों की संख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

2070 तक नेट उत्सर्जन को शून्य करने के और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 50 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य के चलते, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एससी बजट के तहत *सौर ऊर्जा (ग्रिड)* के लिए 805 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं, जो 2023-24 (बजट अनुमान) से 53.16% ज़्यादा है। इसी तरह, MoNRE ने इसी योजना के लिए एसटी बजट के लिए 850 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष से 50.35% ज़्यादा है। लेकिन, उपरोक्त तालिका योजना के तहत एससी और एसटी बजट के उपयोग में भारी कमी की ओर इशारा करती है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह समुदाय सौर ऊर्जा के लाभों से वंचित हैं और कम उपयोग के इस रुझान पर सामाजिक न्याय मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय को ध्यान देने की ज़रुरत है। मंत्रालय की वेबसाइट बताती है कि 30-06-2023 तक देश में 70.10 गीगावॉट क्षमता की सौर परियोजनाएं चालू हो चुकी थी।

26 https://pmkisan.gov.in/rpt_beneficiarystatus_pub.aspx

लेकिन, उत्पाद (आउटपुट) और परिणाम (आउटकम) संकेतक पैदा की गई सौर ऊर्जा की मात्रा से जुड़े हैं, न कि उन एससी और एससी गांवों या घरों की संख्या से, जो इन ग्रिडों से जोड़े गए हैं। इस प्रकार, बजटीय आवंटन न सिर्फ एससी-एसटी लक्ष्यों की कमी के कारण, बल्कि संसाधनों के पूरी तरह खर्च नहीं किए जाने के कारण भी अप्रभावी है।

यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में जलवायु और आपदा से जुड़े आवंटन नहीं दिखाए गए हैं और बाकी मंत्रालयों द्वारा एससी और एसटी बजटों में से जलवायु और आपदा से जुड़े आवंटन पर भी नज़र नहीं रखी जा रही है। यही नहीं, जब तक विभिन्न मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित) अपने बजट में जलवायु और आपदा से जुड़े आवंटन नहीं करते हैं, तब तक एससी/एसटी समुदायों के लिए किए जाने वाले जलवायु-संबंधी बजटीय आवंटन का विश्लेषण करना मुमकिन नहीं होगा। एससी और एसटी समुदाय, देश के सबसे जोखिम भरे और असुरक्षित इलाकों में रहते हैं, ज़मीनें न होने की वजह से घरों और खेती के लिए निचली सरकारी ज़मीनों का इस्तेमाल करते हैं। अगर सभी मंत्रालय जलवायु और आपदा से जुड़े आवंटन करते भी हैं तो भी जब तक इनमें एससी और एसटी समुदायों का हिस्सा तय नहीं किया जाता और स्पष्ट लक्ष्य तय नहीं किए जाते, तब तक जलवायु-कार्यक्रमों का लाभ इन तक नहीं पहुंच पाएगा।

अंत में कुछ मुख्य निष्कर्ष:

1. जलवायु और आपदा से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं में एससी और एसटी के लिए बजटीय आवंटन की प्रक्रिया में एक बड़ी कमी है एससी और एसटी से जुड़े विशेष, मापे जा सकने वाले, हासिल किए जा सकने वाले, समय-बद्ध (स्मार्ट) लक्ष्यों की कमी, जिनके आधार पर बजट आवंटन का विश्लेषण किया जा सके और परिणामों पर नज़र रखी जा सके।

2. कृषि और ऊर्जा मंत्रालय से जुड़ी कई केंद्रीय-क्षेत्र योजनाओं के एससी और एसटी बजट का पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अगर इन योजनाओं को साफ नियत, लक्ष्यों और रूपरेखा के साथ लागू किया जाता है तो यह एससी और एसटी समुदायों की जलवायु-परिवर्तन और आपदाओं से निपटने में मदद कर सकती हैं।

3. राष्ट्रीय जलवायु बजट स्टेटमेंट के न होने की वजह से (जैसा कि बिहार और ओडिशा सरकार द्वारा पेश किया जाता है), केंद्र-सरकार के स्तर पर जलवायु कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च का अंदाजा लगाना मुश्किल है।

4. जलवायु से जुड़ी योजनाओं का वर्गीकरण न किए जाने की वजह से जलवायु योजनाओं के एससी और एसटी बजट का विश्लेषण करना मुश्किल हो जाता है।

एससी और एसटी समुदायों के हितों को शामिल करने वाली जलवायु और आपदा नीति के लिए कुछ प्रमुख सिफारिशें:

A. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और न्यूनीकरण

a. राष्ट्रीय जलवायु बजट स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाए जिसके तहत जलवायु से जुड़ी पहलों को सभी केंद्रीय-प्रायोजित और केंद्रीय-क्षेत्र योजनाओं में शामिल किया जाए, उनके लिए बजट तय किया जाए और इन सभी में एससी और एसटी के लिए बजट आरक्षित किया जाए (जैसे बिहार के ग्रीन बजट में किया गया है)।

b. जलवायु से जुड़ी योजनाओं में एससी और एसटी के बजट के अनुपात को बढ़ाकर, जनसंख्या के अनुपात के स्तर तक लाया जाए और इसके लिए जलवायु-जोखिम और भौगौलिक और सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाए।

c. जलवायु योजनाओं को लागू करने वाले मंत्रालयों द्वारा इनमें एससी और एसटी के लिए बजट आरक्षित किए जाने को अनिवार्य बनाया जाए।

d. जलवायु योजनाओं के बजट के आवंटन के लिए जाति और जनजातीय पहचान, लिंग, उम्र और विकलांगता आधारित मैट्रिक्स का उपयोग किया जाए।

e. भूमिहीन खेत मज़दूरों की जलवायु-सुरक्षित रोज़गार हासिल करने में मदद करने के लिए एससी और एसटी बजट में विशेष योजनाओं और बजट का प्रावधान किया जाए।

f. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए एक विशेष प्राधिकरण की स्थापना की जाए जो ऐसी योजनाओं को लागू करेगा जिसके तहत कार्यान्वयन, प्रशसान और वित्तीय निर्णय-निर्धारण प्रक्रिया को पंचायत के स्तर पर विकेन्द्रित किया जाएगा ताकि यह योजनाएं एससी-एसटी और अन्य हाशिए के समुदायों तक पहुंच सके।

B. आपदा के लिए प्रतिक्रिया, उससे उबरने की प्रक्रिया और पुनर्वास

a. *राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि* योजना के तहत एससी और एसटी आवंटन को अनिवार्य बनाया जाए ताकि अनौपचारिक कर्मियों, भूमिहीन और बेघर परिवारों को नुकसान और क्षति होने पर इससे उबरने में उनकी तुरंत मदद की जा सके।

b. *राष्ट्रीय आपदा शमन निधि* के तहत एससी और एसटी आवंटन को अनिवार्य बनाया जाए ताकि इन समुदायों के लिए लक्षित योजनाओं/परियोजनाओं को लागू किया जा सके।

c. आपदा राहत और शमन पर मौजूदा और नई केंद्रीय-क्षेत्र और केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के लिए श्रेणीवार डेटा और लक्ष्य तय किए जाए।

16. बाल अधिकार

भारत में कुल 47.2 करोड़ बच्चे हैं, जो पूरी आबादी का लगभग 40% हिस्सा हैं। शिक्षा को समानता का महाशक्तिशाली वाहक माना जाता है, लेकिन एससी और एसटी बच्चों के लिए यह कठिन है। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार करार के अनुच्छेद-2 के अनुसार, किसी भी बच्चे के साथ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है, जो विशेष रूप से उन दलित बच्चों के लिए महत्व रखता है जो भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हैं। भारत में दलित और एलजीबीटीक्यूआई+ बच्चे हर दिन इसी समस्या से जूझते हैं। यह बच्चे रोज़ दबंगाई, अलगाव, और हिंसा का सामना करते हैं। पॉस्को अधिनियम को लागू करने से जुड़ी एक बड़ी चुनौती है बाल यौन शोषण से जुड़ा सामाजिक कलंक, जो पीड़ितों को इस तरह के अपराधों को रिपोर्ट करने से हतोत्साहित कर सकता है और इनके बारे में चुप्पी बनाए रखने पर मजबूर करता है, खासकर हाशिए के समुदायों के बीच। एनएफएचएस डेटा के ज़रिए हम यह भी देखते हैं कि 26% एससी/एसटी समुदायों में बाल विवाह अभी भी प्रचलित है। तीन राज्य जहां बाल विवाह सबसे ज़्यादा देखा जाता है वे हैं: पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा। किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य परेशानी से जूझ रहे बच्चों की मदद करना है, लेकिन इसके बावजूद, व्यवस्था में मौजूद पूर्वाग्रह के कारण, हाशिए के समुदायों के बच्चों को अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा सकता है।

अनुसूचित जाति के लिए कुल आवंटन (सीएस+सीएसएस) 14,41,237 करोड़ रुपये है और एसटी के लिए 14,39,780 करोड़ रुपये है। अगर कुल बजट आवंटन लिया जाए तो यह एससी के लिए 1,65,598 करोड़ रुपये और एसटी के लिए 1,21,023 करोड़ रुपये है। अगर तुलना की जाए तो, एससी के लिए आवंटन 67,895 करोड़ रुपये होना चाहिए था और एसटी के लिए 49,619 करोड़ रुपये, लेकिन इन दोनों को बहुत कम बजटीय राशि आवंटित की गई है।

वर्ष 2017-21 के दौरान एससी बच्चों के लिए लागू की गई कुछ प्रमुख योजनाएं:

- सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए बजट आवंटन 4417.4 करोड़ रुपये था और इसमें से 4207.8 करोड़ रुपये का उपयोग हुआ
- मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के लिए आवंटन 1955.0 करोड़ रुपये था, जिसमें से 1671.2 करोड़ रुपये इस्तेमाल किए गए
- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के लिए आवंटन 101.8 करोड़ रुपये था, जिसमें से 62.2 करोड़ रुपये इस्तेमाल किए गए

वर्ष 2017-21 के दौरान एसटी बच्चों के लिए लागू की गई कुछ प्रमुख योजनाएं:

- सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए बजट आवंटन 1899.5 करोड़ रुपये था और इसमें से 1840.3 करोड़ रुपये का उपयोग हुआ
- मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के लिए आवंटन 1755.0 करोड़ रुपये था, जिसमें से 1688.6 करोड़ रुपये इस्तेमाल किए गए
- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के लिए आवंटन 51.9 करोड़ रुपये था, जिसमें से 31.7 करोड़ रुपये इस्तेमाल किए गए

लक्षित कार्यक्रम, असंतुलित परिणाम:

हालांकि राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण जैसे लक्षित कार्यक्रम सराहनीय हैं, लेकिन उनका प्रभाव असंतुलित रहता है। लेकिन, लड़कों और लड़कियों के छात्रावास जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन की कमी देखी गई है, जो बच्चों की भलाई के सभी पहलुओं को संबोधित करने वाले समग्र दृष्टिकोण को अपनाए जाने की ज़रुरत की ओर इशारा करता है। एससी और एसटी कार्यक्रमों के लिए अधिक आवंटन, शुरुआती वर्षों पर ध्यान केंद्रित किया जाना और भेदभाव को खत्म करना, यह सभी बहुत ज़रूरी हैं।

सिफारिशें

1. अच्छी संख्या में योजनाएं होने के बावजूद उनके लिए किया गया आवंटन काफी कम है और कई अप्रासंगिक योजनाएं भी हैं, जहां आवंटन बहुत ज्यादा है, लेकिन दुर्भाग्य से, इन योजनाओं का समुदायों को शायद ही कोई लाभ होता है। कृषि, बिजली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, उच्च शिक्षा जैसे छह मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाली कुछ योजनाएं हैं, जिनके तहत 27,210 करोड़ रुपये को अप्रासंगिक योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं जिनसे समुदायों को शायद ही कोई लाभ होता है, जबकि प्रभावी योजनाओं के लिए 569 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो समुदायों को सीधा लाभ देती हैं, लेकिन यह आवंटन समुदायों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, इस तरह की बड़ी-बड़ी गैर-लक्षित योजना को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

2. सभी बाध्य मंत्रालयों को नीति आयोग के अप्रैल 2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार दलितों और आदिवासियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में बजट आवंटित करना चाहिए।

3. मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति, छात्रावास, कौशल विकास योजनाओं जैसी सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए और हर सूरत में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभार्थियों को राशि समय पर मिले। राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना के लिए अधिक बजटीय आवंटन किया जाना चाहिए।

4. दलित महिलाओं के लिए 50% का आवंटन और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कार्यान्वयन तंत्र के साथ दलित महिलाओं के लिए एक विशेष घटक योजना शुरू की जानी चाहिए।

5. मैला ढोने का काम करने वाली महिलाओं के पुनर्वास के लिए योजनाओं को फिर से शुरू किया जाना चाहिए और इस प्रथा को खत्म करने के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा सफाई के कार्य के मशीनीकरण के लिए शुरू की गई 'नमस्ते' नामक योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इससे जुड़े लाभ महिलाओं को भी दिए जाएं।

6. सभी स्कूलों और छात्रावासों को विकलांग लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकलांगों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए।

7. एससी और एसटी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कानूनी ढांचे के आभाव के कारण अधिकांश योजनाओं के कार्यान्वयन में कमियां देखी गई है। इसलिए एससीपी/टीएसपी कानून तुरंत पारित करने की आवश्यकता है।

8. निम्नलिखित सिफारिशें का उद्देश्य सरकार से यह आह्वान करना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से एससी और एसटी समुदायों द्वारा महसूस की जाने वाली विशेष असुरक्षा और उन पर इसके होने वाले कहीं ज़्यादा गंभीर परिणामों को पहचानते हुए, साझा लेकिन असमान ज़िम्मेदारियों और क्षमताओं के सिद्धांत के आधार पर संसाधनों का आवंटन किया जाए ताकि एससी और एसटी समुदायों को जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षित रखा जा सके:

   a. केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र-प्रायोजित कार्यक्रमों/योजनाओं में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी पहलों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय जलवायु बजट की शुरुआत की जाए।

   b. जलवायु से जुड़ी योजनाओं में एससी और एसटी के बजट के अनुपात को बढ़ाकर, जनसंख्या के अनुपात के स्तर तक लाया जाए और इसके लिए जलवायु-जोखिम और भौगौलिक और सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाए।

   c. जलवायु योजनाओं को लागू करने वाले मंत्रालयों द्वारा इनमें एससी और एसटी के लिए बजट आरक्षित किए जाने को, उसके लिए लक्ष्य तय किए जाने को और उन्हें रिपोर्ट किए जाने को अनिवार्य बनाया जाए।

   d. जलवायु योजनाओं के बजट के आवंटन के लिए जाति और जनजातीय पहचान, लिंग, उम्र और विकलांगता आधारित मैट्रिक्स का उपयोग किया जाए।

   e. एससी और एसटी बजट के तहत जलवायु योजनाओं के लिए आवंटित की गई राशि के लिए स्पष्ट एससी और एसटी-संबंधित लक्ष्य तय किए जाएं।

   f. जलवायु अनुकूलन बजट का मौजूदा जेंडर बजट, बाल बजट और एससी और एसटी कल्याण और विकास बजट के साथ समन्वय किया जाए।

सिफारिशें

g. भूमिहीनों, बेघर परिवारों और बटाईदारों को भूमि वितरण और टिकाऊ रोज़गार से जुड़े मौजूदा और नए कार्यक्रमों/योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए।

h. 15वे वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, खासतौर पर आपदा प्रबंधन के लिए राज्य-वार बजटीय आवंटन तय करने के लिए क्षमता, जोखिम और असुरक्षा जैसे पहलुओं का इस्तेमाल किया जाए।

i. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि योजना के तहत एससी और एसटी आवंटन को अनिवार्य बनाया जाए ताकि अनौपचारिक कर्मियों, भूमिहीन और बेघर परिवारों को नुकसान और क्षति होने पर इससे उबरने में उनकी तुरंत मदद की जा सके।

j. राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के तहत एससी और एसटी आवंटन को अनिवार्य बनाया जाए ताकि इन समुदायों के लिए लक्षित योजनाओं/परियोजनाओं को लागू किया जा सके।

k. आपदा राहत और शमन पर मौजूदा और नई केंद्रीय-क्षेत्र और केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के लिए श्रेणीवार डेटा और लक्ष्य तय किए जाए।

9. सीधे लाभ के हस्तांतरण वाली सभी योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे देरी भी नहीं होती और लाभार्थियों को पूरा लाभ भी मिल पाता है।

10. दलित महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, विकलांग लोगों और क्वीर और ट्रांस व्यक्तियों के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए। जाति-आधारित भेदभाव और हिंसा के किसी भी पीड़ित को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए स्पष्ट प्रणाली स्थापित करने की ज़रुरत है। इसके लिए किया गया मौजूदा आवंटन बिलकुल अपर्याप्त है। मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए, और जाति और जातीयता-आधारित अत्याचारों के पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवज़े में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए।

The National Campaign on Dalit Human Rights is a forum launched in 1998, committed to the elimination of discrimination based on caste. A democratic secular platform led by Dalit women and men activists, with support and solidarity from movements and organizations, academics, individuals, people's organizations and institutions throughout the country who are committed to work to protect and promote human rights of Dalits. **Dalit Arthik Adhikar Andolan (DAAA)** is a part of NCDHR and looks at the various economic rights of Dalits including education and entrepreneurship. It uses the Union and state Government budgets as the main vehicle to tracking schemes and entitlements of Dalits. It involves in advocacy with policy makers and executives in strengthening the existing policies and tracking it for accountability and transparency.

NCDHR-National Campaign on Dalit Human Rights-DAAA
8/31 South Patel Nagar, 3rd Floor, New Delhi - 110 008
www.ncdhr.org.in

For further information, please contact:
Adikanda Singh, Tel: +91-9205219784; Email: adikanda@ncdhr.org.in

Designed by: How India Lives (www.howindialives.com)

SCAN ME, DOWNLOAD
A SOFT COPY